(भाग 1)

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

पीठासीन अधिकारी सरिता नौशाद, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 03/2022
सी.आई.एस.नंबर 03/2022
सी.एन.आर.नम्बर RJBK130000932022

निर्णय दिनांक 20-05-2026 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2022 पुलिस थाना सेरूणा अपराध अंतर्गत धारा 302, 201 भा.द.सं.

भाग प्रथम

परिवादी	ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
प्रस्तुत द्वारा	श्री सोहननाथ सिद्ध, विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्रीडूंगरगढ़। श्री लेखराम चौधरी व श्री मांगीलाल नैण विद्वान अधिवक्तागण परिवादी पक्ष की ओर से।
अभियुक्त	श्रवणराम पुत्र सांवतराम निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
अभियुक्त अधिवक्ता	श्री बाबूलाल दर्जी।

(ख)

घटना की दिनांक	08-03-2022
लिखित रिपोर्ट की दिनांक	09-03-2022
आरोप-पत्र की दिनांक	08-05-2022
आरोप विरचना की दिनांक	23-11-2022
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक	03-02-2023
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	--------
निर्णय दिनांक	20-05-2026
दण्डादेश की दिनांक	20-05-2026

अभियुक्त विवरण

क्र सं	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहायी की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं के तहत समायोजन वास्ते निरूद्ध समयावधि
1	श्रवणराम	09-03-2022	--	धारा 302, 201 भा.द.सं.	धारा 302 व 201 भा.द.सं.	धारा 302 भा0द0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास से एवं 40,000/- रूपये (अखरे चालीस	दि.09-03-2022 को 11-40 पी.एम से 14-03-2022 तक पुलिस अभिरक्षा में तत्पश्चात

						हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। धारा 201 भा0द0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को तीन वर्ष के साधारण कारावास से एवं 5,000/- रूपये (अखरे पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।	**लगातार न्यायिक अभिरक्षा में।**

भाग द्वितीय 2
अभियोजन /बचाव//न्यायालय गवाह सूची
अ-अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू.1	ओमप्रकाश	परिवादी
पी.डब्ल्यू.2	श्रवणराम	चश्मदीद
पी.डब्ल्यू.3	नानूराम	फोटो ग्राफी बाबत
पी.डब्ल्यू.4	पूर्णाराम	पंचनामा
पी.डब्ल्यू.5	डूंगरराम	पंचनामा
पी.डब्ल्यू.6	सोहनलाल	पंचनामा व अन्य फर्दात
पी.डब्ल्यू.7	तोलाराम	पंचनामा
पी.डब्ल्यू.8	भंवरलाल	मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू.9	डॉ.जगदीश गोदारा	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्ल्यू.10	लूणाराम	मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू.11	रतन कुमार	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत
पी.डब्ल्यू.12	सतपाल	अनुश्रुत साक्षी
पी.डब्ल्यू.13	महावीरप्रसाद	एफएसएल वाहक
पी.डब्ल्यू.14	मुकेश कुमार	गिरफ्तारी बाबत
पी.डब्ल्यू.15	हनुमानाराम	नक्शा मौका तस्दीक बाबत
पी.डब्ल्यू.16	सांवतराम	अभियुक्त का पिता
पी.डब्ल्यू.17	राजेश त्रिपाठी	नॉडल अधिकारी वोडाफोन
पी.डब्ल्यू.18	अशोक कुमार	फोटोग्राफी बाबत
पी.डब्ल्यू.19	विक्रान्त मीणा	गिरफ्तारी बाबत

पी.डब्ल्यू.20	रामचन्द्रसिंह	अनुसंधान अधिकारी

1- ब-बचाव गवाह

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य प्रकार चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह**

स-न्यायालय गवाह

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य प्रकार चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह**

अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

क्र सं	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी 3	फर्द फोटोग्राफी शव मृतक
4	प्रदर्श पी 4	फोटोग्राफस शव मृतक राजूराम
5	प्रदर्श पी 5	फर्द पंचनामा व फर्द सूरत लाश
6	प्रदर्श पी 6	फर्द जब्ती पार्चेजात मृतक राजूराम
7	प्रदर्श पी 7	फर्द सुपुर्दगी लूंग सोने जैसी धातु की मृतक राजूराम
8	प्रदर्श पी 8	फर्द सुपुर्दगी शव
9	प्रदर्श पी 9 व 9ए	नक्शा मौका व हालात मौका
10	प्रदर्श पी 10	फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी घटनास्थल
11	प्रदर्श पी 11	फर्द जब्ती सादा मिट्टी घटनास्थल
12	प्रदर्श पी 12	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
13	प्रदर्श पी 13	थानाधिकारी द्वारा एस.पी. को एफएसएल बाबत अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत जारी पत्र
14	प्रदर्श पी 13	एफएसएल रिपोर्ट
15	प्रदर्श पी 14	अग्रेषण पत्र

16	प्रदर्श पी 15	प्राप्ति रसीद एफएसएल
17	प्रदर्श पी 16	वजह सबूत एफएसएल जयपुर में जमा करवाने हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु एस.पी. को जारी तहरीर
18	प्रदर्श पी 17	अग्रेषण पत्र
19	प्रदर्श पी 18	प्राप्ति रसीद एफएसएल
20	प्रदर्श पी 19	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
21	प्रदर्श पी 20	फर्द जब्ती खून आलूदा पार्चेजात अभियुक्त
23	प्रदर्श पी 21	फर्द बरामदगी एक लाठी बांस अभियुक्त
24	प्रदर्श पी 22 व 22 ए	नक्शा मौका व हालात मौका बरामदगी स्थल
25	प्रदर्श पी 23	फर्द तस्दीक घटनास्थल अजाने इत्तिला अभियुक्त
26	प्रदर्श पी 24	नक्शा मौका घटनास्थल तस्दीक
27	प्रदर्श पी 25	पुलिस बयान गवाह सांवतराम अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी
28	प्रदर्श पी 26	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
29	प्रदर्श पी 27	कॉलडिटेल
30	प्रदर्श पी 28	डिजिटल केवाईसी एप्लीकेशन फार्म सांवतराम
31	प्रदर्श पी 29	कॉलडिटेल
32	प्रदर्श पी 30	डिजिटल केवाईसी एप्लीकेशन फार्म सांवतराम
33	प्रदर्श पी 31	एफएसएल रिपोर्ट
34	प्रदर्श पी 32	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त श्रवणराम
35	प्रदर्श पी 33	फर्द विश्लेषण कॉल डिटेल आरोपी श्रवणराम
36	प्रदर्श पी 34	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त श्रवणराम
37	प्रदर्श पी 35	एफएसएल रिपोर्ट
38	प्रदर्श पी 36	सीडीआर व सीएफ बाबत एस.पी. का पत्र
39	प्रदर्श पी 37	सर्टिफिकेट धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम
40	प्रदर्श पी 38 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
41	प्रदर्श पी 39 ए	चिट दस्तखती

42	प्रदर्श पी 40	रसीद एफएसएल
43	प्रदर्श पी 41	<u>प्रदर्श नहीं डाला गया</u>
44	प्रदर्श पी 42	रसीद एफएसएल
45	प्रदर्श पी43	एफएसएल रसीद
46	प्रदर्श पी44 ए	चिट चेपा
47	प्रदर्श पी 45	रसीद एफएसएल
48	प्रदर्श पी 46	चिट दस्तखती
49	प्रदर्श पी 47	एसएफएसएल की रसीद
50	प्रदर्श पी 48	<u>प्रदर्श नहीं डाला गया</u>
51	प्रदर्श पी 49	एसएफएसएल की रसीद
52	प्रदर्श पी 50	एसएफएसएल की रसीद
53	प्रदर्श पी 51 ए व 52	चिकित्सा अधिकारी का एफएसएल डायरेक्टर को पत्र
54	प्रदर्श पी 53	एसएफएसएल की रसीद
प्रदर्शित आर्टिकल		
1	आर्टिकल 1	सादा मिट्टी घटनास्थल
2	आर्टिकल 2	खून आलूदा मिट्टी घटनास्थल
3	आर्टिकल 3	एक लाठी बांस
4	आर्टिकल 4	सफेद रंग की बनियान व एक स्लेटी रंग की लोवर खून के छींटे सहित
5	आर्टिकल 4	दो जार
ख- बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
प्रदर्श डी 1 पुलिस बयान लूणाराम अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी		

<u>निर्णय</u> **दिनांक 20-05-2026**

1- प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम ने दिनांक 09-03.2022 को वक्त 03.52 ए.एम. पर एसएचओ पुलिस थाना सेरूणा के समक्ष एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस प्रकार से पेश की कि प्रार्थी बींझासर का रहने वाला है। **कल रात को वक्त करीब दस बजे** ये अपने घर पर था तब इसके

पास **श्रवण पुत्र सांवतराम जाति नायक** उम्र 25 वर्ष निवासी बींझासर का इसके फोन नम्बर 9602411327 पर मोबाइल नम्बर 8239334268 से फोन आया कि आपके भतीजे **राजूराम पुत्र दुर्गाराम उम्र करीब 22 वर्ष से आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया था, मैंने उसके लाठी से मारपीट की। वह जमीन पर गिर गया। आप उसको संभाल लेना। वो सीतादास स्वामी के घर के आगे रास्ता पर पड़ा है।** मैं उसको संभालता इतने में **श्रवण पुत्र ओमाराम जाति जाट** मेरी तरफ भागता आया और शोर मचाया कि पकड़ो पकड़ो **श्रवणराम नायक राजूराम के साथ लाठी से मारपीट कर रहा है।** गांव में मोहल्ले के लोगों ने शोर मचाया। मैं वहां से भागकर आ गया। इस सूचना पर **ये व इसका भतीजा भंवरलाल वहां गये तो वहां पर मौहल्ले के कई लोग खड़े थे। वहां पर राजूराम मृत अवस्था में इनको रास्ता पर पड़ा मिला। इनको श्रवणराम पुत्र ओमाराम ने बताया कि श्रवण नायक ने राजूराम के लाठी से कई वार किये, रोला सुनकर मैं व मौहल्ले के लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो वह लाठी लेकर भाग गया।** श्रवण नायक ने लाठी से पीट पीट कर राजूराम की हत्या कर दी। राजूराम के लाठी की काफी चोटें लगी हुई थी। कानूनी कार्यवाही करे-----आदि आदि रिर्पोट पर एसएचओ पुलिस थाना सेरूणा द्वारा एफआईआर नम्बर 38/2022 अर्न्तगत धारा 302 भा.द.स. के तहत दर्ज की गई व बाद अनुसंधान दिनांक 28-05-2022 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडुंगरगढ़ के समक्ष अभियुक्त श्रवणराम के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 302 व 201 भा.द.स. में चालान पेश किया गया जिस पर बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दिनांक 10-06-2022 इस न्यायालय को कमिट किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण प्रारम्भ किया गया।

2- दिनांक 23-11-2022 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त श्रवणराम को अपराध अर्न्तगत धारा 302 व 201 भा.द.स. का पृथक रूप से आरोप विचरित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्विक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य तलब की गई।

3- अभियोजन की और से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.1 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू.2 श्रवणराम, पी.डब्ल्यू.3 नानूराम, पी.डब्ल्यू.4 पूर्णाराम, पी. डब्ल्यू.5 डूंगरराम, पी.डब्ल्यू.6 सोहनलाल, पी.डब्ल्यू.7 तोलाराम, पी.डब्ल्यू.8 भंवरलाल, पी. डब्ल्यू.9 डॉ. जगदीश गोदारा, पी.डब्ल्यू.10 लूणाराम, पी.डब्ल्यू.11 रतन कुमार, पी. डब्ल्यू.12 सतपाल, पी.डब्ल्यू.13 महावीरप्रसाद, पी.डब्ल्यू.14 मुकेश कुमार, पी. डब्ल्यू.15 हनुमानाराम, पी.डब्ल्यू.16 सांवतराम, पी.डब्ल्यू.17 राजेश त्रिपाठी, पी. डब्ल्यू.18 अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.19 विक्रान्त मीणा, पी.डब्ल्यू.20 रामचन्द्रसिंह के सशपथ पर बयान लेखबद्ध करवाये गये।

6- अभियोजन कि ओर से दस्तावेजी में प्रदर्श पी 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी 2 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी 3 फर्द फोटोग्राफी शव मृतक, प्रदर्श पी 4 फोटोग्राफ, प्रदर्श पी 5 फर्द पंचनामा व फर्द सूरत लाश, प्रदर्श पी 6 फर्द जब्ती पार्चेजात मृतक राजूराम, प्रदर्श पी 7 फर्द सुपुर्दगी लूंग सोने जैसी धातु की, प्रदर्श पी 8 फर्द सुपुर्दगी शव, प्रदर्श पी 9 व 9 ए नक्शा मौका व हालात मौका, प्रदर्श पी 10 फर्द जब्ती खून आलूदा मिट्टी घटनास्थल, प्रदर्श पी 11 फर्द जब्ती सादा मिट्टी घटनास्थल, प्रदर्श पी 12 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, प्रदर्श पी 13 अग्रेषण पत्र जारी करने हेतु एस.पी. बीकानेर को एसएचओ का पत्र, प्रदर्श पी 13(पुनः) एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श पी 14 एफएसएल हेतु एस.पी. बीकानेर का पत्र, प्रदर्श पी 15 एफएसएल रसीद, प्रदर्श पी 16 एफएसएल हेतु एस.पी. बीकानेर को एसएचओ का पत्र, प्रदर्श पी 17 एस.पी. का विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को पत्र, प्रदर्श पी 18 एफएसएल रसीद, प्रदर्श पी 19 फर्द गिरफ्तारी व जमा तलाशी अभियुक्त श्रवणराम, प्रदर्श पी 20 फर्द जब्ती खून आलूदा पार्चेजात अभियुक्त श्रवणराम नायक, प्रदर्श पी 21 फर्द बरामदगी एक लाठी बांस अभियुक्त, प्रदर्श पी 22 व 22 ए नक्शा मौका व हालात मौका बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी 23 फर्द तस्दीक घटनास्थल, प्रदर्श पी 24 नक्शा मौका घटनास्थल तस्दीक, प्रदर्श पी 25 बयान गवाह सांवतराम अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी, प्रदर्श पी 26 धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी 27 कॉल डिटेल, प्रदर्श पी 28 एप्लीकेशन सांवतराम (कस्टमर डिजिटल), प्रदर्श पी 29 कॉल डिटेल, प्रदर्श पी 30 प्रि-पेड कस्टमर एप्लीकेशन, प्रदर्श पी 31 एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श पी 32 फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी 33 फर्द विश्लेषण कॉल डिटेल, प्रदर्श पी 34 फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी 35 एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श पी 36 सर्टिफिकेट दफा 65 एवीडेंस एक्ट, प्रदर्श पी 37 सर्टिफिकेट धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी 38 मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी 39 चिट दस्तखती, प्रदर्श पी 40 रसीद एफएसएल, प्रदर्श 41(प्रदर्श नहीं डाला गया), प्रदर्श पी 42 एफएसएल रसीद, प्रदर्श पी 43 एफएसएल रसीद DNA डिविजन, प्रदर्श पी 44 ए चिट चेपा, प्रदर्श पी 45 एफएसएल रसीद, प्रदर्श पी 46 चिट दस्तखती, प्रदर्श पी 47 एसएफएसएल की रसीद, प्रदर्श 48 (प्रदर्श नहीं डाला गया), प्रदर्श 49 एसएफएसएल रसीद, प्रदर्श पी 50 एसएफएसएल रसीद, प्रदर्श 51 व 52 चिकित्सा अधिकारी का एफएसएल डॉयरेक्टर को पत्र, प्रदर्श 53 एसएफएसएल रसीद को प्रदर्शित करवाया गया ।

7- बयान मुलजिम अर्न्तगत धारा 313 द.प्र.स. किये गये तो अभियुक्त ने गवाहान के कथन गलत होना बताये तथा एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 09-05-2022, 28-11-2024 प्रदर्श पी 13 व 35 के संबंध में स्वयं को कोई जानकारी नहीं होना बताया व स्वयं का निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना बताया तथा साक्ष्य सफाई

पेश करनी चाही परन्तु पेश नहीं की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 बयान लूणाराम को प्रदर्शित करवाया गया।

8- बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सोहनाथ सिद्ध व परिवादी अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया गया है। मौखिक साक्ष्य की पुष्टि मेडिकल एवीडेंस व एफएसएल रिपोर्ट से होती है। मृतक के कपड़ों व लाठी पर वही ब्लड पाया गया है जो अभियुक्त के पार्चेजात पर पाया गया है। अभियुक्त द्वारा लाठी से पीट पीट कर मृतक की हत्या की गई है जिसकी पुष्टि चश्मदीद गवाहान ने की है। घटना का कारण झगड़ा बताया गया है। इससे मोटिव साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावें। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस के तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये थेः-

1. मोहम्मद इदरीश बनाम राजस्थान राज्य **2004 Cri L.J 1724 (राज.)**
2. नाना केशव लागाड बनाम महाराष्ट्र राज्य **2004 Cri L.J 2013 पेज 4011 (एस.सी.)**
3. नन्द किशोर उर्फ नन्द बिहारी बनाम राजस्थान राज्य जरिये पी.पी.**CrLR 2017(4) राज.1892**

9- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है, कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मृतक व अभियुक्त की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों का साथ साथ व प्रेम से रहना गवाहान के कथनों में पाया गया है। मामला अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति पर आधारित है जो एक कमजोर साक्ष्य है जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से होना आवश्यक है। परिवादी ने प्रदर्श पी 1 में अभियुक्त को स्वयं द्वारा फोन करके अपराध की स्वीकृति करना बताई है जो साबित नहीं है। गवाहान ने अभियुक्त को भागना बताया है तो वह घटना कारित करने के बाद परिवादी को फोन करे ये असंभव बात है। मृतक शराब का आदि था तथा वो अधिक शराब पीकर गाड़ी से गिरकर चोटें आनेसे मरा है। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करना साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावें। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये थेः-

1. राजस्थान राज्य बनाम जसवंत सिंह **Cri L.R 2010(2) 1530** (राज.)
2. सेवाराम भाटिया बनाम राजस्थान राज्य **Cri C.C 2020(2)** पेज 310 (राज)
3. मोहम्मद अलताफ बनाम राजस्थान राज्य **Cri L.R 2018(1)** पेज 365 (राज)
4. मोहम्मद अलताफ बनाम राजस्थान राज्य **CJ(Cri) 2018(2)** राज. 1019
5. बाबुखान उर्फ अलिम खान बनाम राजस्थान राज्य **CJ(Cri) 2017(4)** राज. 2017
6. श्रवण कुमार बनाम राजस्थान राज्य **2017(4)CJ(Cri)** राज. 2020
7. रूपेश उर्फ पिन्टू व अन्य बनाम राजस्थान राज्य **2018(3)CJ(Cri)** राज. 1804

8. शेरसिंह बनाम राजस्थान राज्य **2018(1)CJ(Cri)** राज. 294

9. बाबू राहुआ उर्फ शिवा बनाम राजस्थान राज्य **2019(1)CJ(Cri)** राज. 601

10. तरूण चर्तुवेदी बनाम राजस्थान राज्य जरिये पी.पी **2016(3)CJ(Cri)** राज. 1414

11. ओमप्रकाश उर्फ नान्चू बनाम राजस्थान राज्य **CJ(Cri)2017(1)** राज. 119

12. श्रीमती सीता देवी बनाम राजस्थान राज्य जरिये पी.पी **2017(2)CJ(Cri)** राज. 844

13. भागीरथ बनाम मध्यप्रदेश राज्य **2018(4)CJ(Cri)** एस.सी. 1005

10- उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैः-

1- आया अभियुक्त ने दिनांक 08-03-2022 को सुबह करीब दस बजे या उसके आसपास गांव बींझासर में सीतादास स्वामी के घर के आगे रास्ता आम पर राजूराम की साथ लाठी से मारपीट कर उसकी सआशय हत्या कारित की तथा लाठी को साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से छिपा दिया ?

2- यदि हां, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या हो?

11- विचारणीय प्रश्नों के संबंध में पत्रावली पर विधमान मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है।

12- गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश परिवादी है तथा मृतक राजूराम का चाचा है। इसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.03.2022 की शाम के 10 बजे की बात है। उस समय मैं मेरे घर पर था। उस वक्त मेरे पास श्रवणराम पुत्र सांवताराम निवासी बीझांसर का फोन आया की आपके भतीजे राजुराम पुत्र दुर्गाराम को मैंने लाठियों से पीटकर गली में डाल दिया है उसको आकर संभाल लेना। तब मैं घटनास्थल की और गया तो देखा की गली में श्रवण पुत्र ओमाराम व भंवरलाल भागते हुये आये और बोल रहे थे की श्रवण नायक को पकडो। वो बोल रहे थे की श्रवण नायक राजूराम को लाठियों से पीटकर भाग गया हैं। राजुराम मौके पर मृत अवस्था में जमीन पर पडा था। मौहल्ले के आस पास के लोग आ गये थे। लोगो ने बताया की हमने श्रवणराम नायक को पकडने की कोशिश की थी लेकिन वो भाग गया। श्रवणराम नायक ने राजुराम की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी थी जिसकी मुकदमा दर्ज करने की लिखित रिर्पोट मैंने पुलिस थाना सेरूणा मे दिनांक 09.03.2022 को लगभग 4-5 बजे सुबह दी थी जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर दो जगह मेरे ए से बी हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना रिर्पोट प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस मौके पर आई व शव की फोटोग्राफी करवाई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फोटोग्राफ प्रदर्श पी 04 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द पंचनामा व सुरत हाल लाश प्रदर्श पी 05 है

जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती खून आलूदा पार्चेजात मृतक राजुराम पायजामा व बनियान प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लूंग सोने जैसी धातु के मृतक राजुराम के प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक राजुराम प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 09 है जिस पर दो जगह ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती खुन अलुदा मिटटी अजाने घटनास्थल प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती सादा मिटटी अजाने घटनास्थल प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

13- गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश जिरह में कथन है कि मृतक राजूराम का मकान इसके घर से करीब एक किलोमीटर दूर है। गवाह ने कहा कि **मुझे श्रवणराम नायक ने ही घटना के बारे में फोन किया था। आज उसके फोन नम्बर याद नहीं है।** श्रवण ने रात को दस बजे फोन किया था। उस दिन से पहले श्रवण ने फोन नहीं किया। श्रवणराम नायक व राजूराम दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। झगड़ा अपने घर से करीब तीन सौ मीटर दूर बताया । **गवाह ने कहा कि मैं मौके पर गया तब श्रवण नायक को भागते देखा था। मैं मौके पर पहुँचा तब वहां भीड़ हो गई थी।** गली में रोड़ लाईट नहीं है। पास के घरों की लाईट की रोशनी थी। **श्रवणराम जाट जब मैं घर से निकला तब सामने से रोला करता हुआ आ रहा था।** श्रवणराम नायक मौके से दक्षिण की तरफ गली में भागा था। वो गली गांव में जाती है। **यह सही बताया कि मुझे श्रवणराम जाट ने भागते हुए आकर बताया था कि श्रवण नायक राजूराम को मारपट कर भाग गया है।** इस प्रकार अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह सुझाव दिया गया है जिसे गवाह ने सही बताया है। गवाह ने कहा कि मौके पर दो चार लोग और खड़े थे। इसे केवल श्रवणराम जाट ने ही घटना का बताया थ। जब ये मौके पर पहुँचा तब तक राजूराम खत्म हो गया था। पुलिस को सरपंच ने फोन किया तब सेरूणा से पुलिस आई थी। पुलिस राजूराम के शव को अस्पताल लेकर आई थी। ये स्वयं अस्पताल नहीं गया पहले थाने गया था। इसके साथ गांव का सरपंच व अन्य चार-पांच लोग गये थे। सुबह चार बजे के लगभग थाने पहुँचे थे। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 इसके गांव के आदमी ने लिखी थी। इसने केवल हस्ताक्षर किये थे और थाने में रिपोर्ट पेश की थी। पुलिस ने अन्य कागजों पर भी थाने में इसके हस्ताक्षर करवाये थे। शव के फोटो अस्पताल में लिए थे। मृतक राजूराम के कपड़े प्रदर्श पी 6 पुलिस ने शरीर से उतारे थे। प्रर्श पी 7 सोने जैसी लूंग पुलिस ने उतारे थे। मृतक के लूंग पुलिस ने इसे दे दिये व कपड़े ले गई। प्रदर्श पी 6 व 7 पर इसके हस्ताक्षर अस्पताल में करवाये थे। घटना स्थल आबाद क्षेत्र है। दूसरे दिन पांच बजे पुलिस मौके पर आई तब इसके व नानूराम, सोहनराम के हस्तक्षर करवाये थे। इसने श्रवणराम व राजूराम का झगड़ा होते नहीं देखना बताया। श्रवण नायक पिकअप गाड़ियों में लकड़ी ढोने

का काम करता था। राजूराम कोई काम नहीं करता था, वह मंदिर में सेवा करता था। पुलिस को इसने श्रवणराम द्वारा फोन करने की बात बताई थी। पुलिस ने इसका मोबाइल जब्त नहीं किया था। यह गलत बताया कि राजूराम शराब का आदि हो और शराब के नशे में गिर कर मर गया हो। **यह भी गलत बताया कि श्रवणराम ने इसे फोन किया हो कि राजूराम गाड़ी से गिर गया हो।** यहां उल्लेखित है कि **अधिवक्ता अभियुक्त इस सुझावित प्रश्न में यह तो स्वीकार करते है कि श्रवणराम अभियुक्त ने इस गवाह को फोन किया था।** यह गलत बताया कि ये मृतका का काका होने से मुलजिम के विरूद्ध झूंठे बयान दे रहा हो।

14- इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में घटना की स्वयं को सूचना अभियुक्त द्वारा देना बताई है और अभियुक्त के फोन के बाद जब वह घटनास्थल पर जाने लगा तब श्रवणराम जाट पुत्र ओमप्रकाश व भंवरलाल दौड़कर आते हुए यह कहना बताया कि अभियुक्त श्रवणराम नायक, राजूराम को लाठियों से पीट कर भाग गया। अतः उक्त श्रवणराम पुत्र ओमप्रकाश व भंवरलाल की साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

15- गवाह श्रवणराम पी.ड.2 का अपने मुख्य परीक्षण में कथन है कि वक्त घटना रात को पौने दस बजे करीब ये अपने घर में बने हुए चौक पर था, तो सीताराम स्वामी के घर के आगे गली में इसे रोला सुनाई दिया। **तब इसने उस तरफ देखा तो श्रवणराम नायक, राजूराम के साथ लाठी से मारपीट कर रहा था।** तब ये भागकर गया और **इसने उसे दकाला तो श्रवणराम माना नहीं।** फिर ये रोला मचाता हुआ राजूराम के बड़ेर की तरफ भाग गया तो वहां से ओमप्रकाश व भंवरलाल आ रहे थे। उनको इसने इस घटना बाबत् बताया। फिर ये स्वयं, भंवरलाल व ओमप्रकाश घटनास्थल की तरफ आये तो श्रवणराम राजूराम को छोड़कर दक्षिण की ओर लाठी लिये हुए भाग गया।

16- इस प्रकार ये गवाह स्वयं को घटना का चश्मदीद बताता है और स्वयं द्वारा घटना देखना और अभियुक्त श्रवणराम को मृतक राजूराम के साथ लाठी से मारपीट करते देखना बताता है कि अभियुक्त राजूराम के साथ लाठी से मारपीट कर रहा था और इसने उसे दकाला यानि डांटा तो भी वह नहीं माना तब इसने शोर मचाया और मृतक राजूराम के परिवार के बड़े लोगों के घर की तरफ भागा तब उसे परिवादी ओमप्रकाश व भंवरलाल आते हुए मिले तब उन्हें रास्ते में इसने घटना के बारे में बताया। इस संबंध में प्रदर्श पी 1 में भी परिवादी ने अपने साथ अपने भतीजे भंवरलाल का घटनास्थल पर साथ आना बताया है। आगे गवाह पी.ड.2 श्रवणराम चश्मदीद गवाह का कथन है कि हमने राजूराम को देखा तो उसके लाठी की चोट लगी हुई थी और नाक से खून बह रहा था। उसके सिर में भी चोट लगी हुई थी। गवाह पी.ड.2 श्रवणराम ने स्पष्ट कहा है कि **"श्रवणराम ने राजूराम के साथ लाठी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी।"** मेरा घर से घटनास्थल तीस पावण्डा दूरी पर है और सीताराम स्वामी के घर पर लाईट लगी होने के कारण घटनास्थल साफ

साफ दिखाई दे रहा था। घटना के दो तीन दिन बाद पुलिस में अपने बयान होना जिसमें घटना के बारे में बता देना बताया।

17- उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश से जिरह में घटना स्थल पर लाईट के बारे में पूछे गये प्रश्न में उसने कहा है कि गली में रोड़ लाईट नहीं थी पास के घरों की लाईट की रोशनी थी। इस संबंध में गवाह पी.ड.2 श्रवणराम ने अपने मुख्य परीक्षण में ही पी.ड.1 ओमप्रकाश के कथनों की पुष्टि करते हुए कहा है कि सीताराम स्वामी के घर पर लाईट लगी हुई होने से घटना स्थल साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिरह में गवाह पी.ड.2 श्रवणराम का कथन है कि राजूराम कथन है कि राजूराम का मकान इसके मकान के पास में नहीं है। यह गलत बताया कि सीतादास स्वामी का मकान खाली हो बल्कि पूरा परिवार वही पर रहना बताया। अपने मकान व सीतादास स्वामी के मकान का गेट पश्चिम की तरफ होना बताया। अपने घर के सामने ओमप्रकाश पुत्र कानाराम नायक का मकान होना और उसमें भी उक्त ओमप्रकाश का परिवार सहित रहना बताया। अपने घर के आगे सड़क नहीं होना व कच्चा रास्ता होना व अपने घर के आगे पश्चिम में चौक होना बताया। चौक का मतलब घर के आगे बैठने के लिए बनाया होना बताया। घटना के समय ओमप्रकाश व सीतादास नहीं आये थे व ना ही नके परिवार का कोई सदस्य बाहर निकला था। मृतक इसके गांव का भाई होना व इसकी जाति का होना बताया। घटनास्थल के बारे में गवाह ने कहा है कि झगड़ा सीतादास स्वामी के घर के आगे गली में हुआ था। सीतादास के घर के गेठ से ठीक उत्तर में नजदीक ही झगड़ा हुआ था। घटना के समय अपने घर से ये अकेला ही गया था। **गवाह ने और स्पष्टतः कहा कि मैं गया उस समय श्रवणराम घटनास्थल पर ही था और मारपीट कर रहा था। उसके हाथ में करीब 5-6 फिट की लाठी थी।** उस लाठी पर तार आदि लगा हो तो नहीं देखा। **श्रवणराम घटनास्थल** से बडेर की ओर दक्षिण दिशा में गया। दोनों शराब पीये हुए नहीं थे। फिर कहा कि राजूराम शराब पिया हुआ नहीं था। गवाह ने कहा कि मैं गया तब राजूराम बोल नहीं रहा था। वह जमीन पर उल्टा पड़ा था। इसने मृतक व श्रवणराम को आते हुए नहीं देखा। **गवाह ने कहा कि मैंने उत्तर से दक्षिण की ओर जो रास्ता चलता है उसके मौके पर झगड़ा देखा था। इसके अलावा झगड़ा नहीं देखा।** घटना के दस मिनट बाद **मौके पर नानूराम, सोहनराम, सरपंच पूर्णाराम नाई, तोलाराम नैण आये थे।** ये लोग आये तब तक राजूराम जमीन पर ही पड़ा था। पुलिस द्वारा अपने बयान ही लेना व कोई नक्शा आदि नहीं बनाना बताया। यह गलत बताया कि राजूराम शराब पीने का आदि हो और रात्रि के समय अत्यधिक शराब पीने से उसकी मृत्यु हुई हो। यह भी गलत बताया कि मौके पर इसने घटना नहीं देखी हो।

18- इस प्रकार ये गवाह घटना का चश्मदीद है व स्वयं द्वारा अभियुक्त को मृतक के लाठी से मारते हुए देखना बताता है जिरह में इसके कथन उपरोक्तानुसार अखण्डित रहे है।

19- गवाह पी.ड.8 भंवरलाल पुत्र ईमरताराम का मुख्य परीक्षण में कथन है कि बयान दिनांक 20-08-2024 से ढ़ाई वर्ष पहले की घटना है। **मेरे चाचा के लड़के राजूराम को श्रवणराम ने मार दिया था।** उस दिन मैं शाम को करीब पौने दस बजे मैं बड़ेर के घर में था। मैं हथाई कर निकला तो सीतादास स्वामी के घर की ओर रोला हो रहा था। वहां से श्रवणराम नैण आ रहा था और रोला मचा रहा था कि राजूराम को मार दिया है। **श्रवण नायक सीतादास के घर से अपने बड़ेर की तरफ भागकर जा रहा था, जिसके हाथ में एक लाठी थी।** हम घटनास्थल पर गये तो राजूराम उल्टा पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। राजूराम के सांसे बंद थी। वहां पर 4-5 लोग और आ गये थे, जिनके ओमाराम, श्रवणराम नैण आदि थे। सरपंच व पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर आना व तीन दिन बाद अपने बयान होना बताये।

20- इस प्रकार ये गवाह सीतदास के घर के आगे शोर होना व श्रवणराम पी.ड.2 द्वारा रोला करते हुए आना कि राजुराम को मार दिया है तथा अभियुक्त के हाथ में लाठी होना और लाठी लेकर उसका अपने बडेर की तरफ भागना बताया है और गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश व पी.ड.2 श्रवणराम के कथनों की पुष्टि की है।

21- जिरह में गवाह पी.ड.8 भंवरलाल का कथन है कि राजुराम छाणे/कंडे के ढुलाई का काम नहीं करता था। यह जानकारी नहीं होना बताई की घटना वाले दिन सतपाल गोदारा के घर पर राजुराम ने शराब पीयी थी या नहीं। गवाह ने कहा कि **मुझे श्रवणराम नायक सीताराम के घर के पास से दक्षिण दिशा की ओर भागता हुआ दिखाई दिया।** जिस जगह से वह भागता हुए दिखाई दिया, उस जगह से घटनास्थल की दूरी 20-30 मीटर है। जहां पर मैं खड़ा था उस जगह से घटनास्थल की दूरी 40 मीटर की थी, जिस जगह से वह मुझे भागता हुआ दिखाई दिया था।

22- यह सही बताया कि इसने अपनी आंखो से श्रवणराम नायक को मारपीट करते हुए नहीं देखा था, केवल भागते हुए देखा था। जिस जगह राजुराम गिरा हुआ मिला था, वह आम रास्ता है। वहां पर आवागमन रहता है। घटनास्थल वाला रास्ता आडसर व कालु गांव की ओर जाता है। उस रास्ते से पिकअप, ऊंटगाड़ा, ट्रेक्टर जाते है। रास्ता चैड़ा है। जरूरत के अनुसार वहां से ट्रक भी निकलता है। पुलिस रात को करीब 10-11 बजे पहुंच गई थी। पुलिस आने से पहले राजुराम को नहीं उठाया था। पुलिस आई और राजुराम को उठाकर ले गई। सीतादास के घर का दरवाजा पश्चिममुखी है और उसके सामने ओमप्रकाश नायक का घर है। यह सही बताया कि सीतादास के घर के आगे मुख्य गेट का जो रास्ता चलता है

वहां पर कोई बवारदात नहीं हुई। पुलिस मौके पर आई तब 10-20 लोग गांव के इक्कठे हो गये थे। यह गलत बताया कि राजुराम अत्यधिक शराब का सेवन करता था जिस कारण वह बेहोश होकर गिर गया हो व किसी वाहन की टककर लगने से इसकी मृत्यु हो गई हो। श्रवणराम नायक के हाथ में जो लाठी थी, वह अंदाजन 5-6 गांठो वाली थी। यह गलत बताया कि राजुराम इसके चाचा का बेटा भाई होने से ये झूठे बयान दे रहा हो।

23- इस प्रकार ये गवाह अभियुक्त को हाथ में लाठी लिये हुए सीतादास के घर के पास से अपने बडेर के घर की ओर दक्षिण दिशा की ओर भागते हुए देखना बताता है।

24- गवाह पी.ड.10 लूणाराम का मुख्य परीक्षण में कथन है कि राजूराम इसका सगा भाई है बयान दिनांक 29.01.2025 से तीन वर्ष पहले की घटना है। गवाह ने कहा कि मैं पिकअप में मजदूरी करता था। **मुझे उस दिन साढे सात बजे, श्रवणराम ने फोन किया कि आप गांव आ रहे हो क्या। उस दिन शाम को 8 बजे मैं गांव आ गया। मेरा भाई उस समय घर पर नहीं था। मैंने घर वालों से पूछा तो घर वालो ने बताया कि वो बाहर गया हुआ है।**

25- फिर रात 10 बजे मैं सीतादास स्वामी के घर के पास गया तो बिजली के खम्भे के पास मेरा भाई राजुराम पड़ा था और उसके सिर व नाक से खून बह रहा था। मौके पर भंवरलाल, श्रवणराम, ओमाराम आदि थे। जिन्होंने बताया कि श्रवणराम पुत्र सांवतराम नायक ने राजुराम की लाठी से पीटकर हत्या कर दी, और भाग गया। उसी दिन रात को पुलिस मौके पर आग गई।

26- इस प्रकार ये गवाह घटना के बाद मौके पर आना बताता है। इससे पहले वहां पी.ड.1 ओमप्रकाश, पी.ड.2 श्रवणराम व पी.ड.8 भंवरलाल घटनास्थल पर होना व इसे घटना के बारे में बताना बताया है।

27- गवाह पी.ड.12 सतपाल का कथन है कि बयान दिनांक 10.03.2025 से तीन वर्ष पहले ये पिकअप गाड़ी चलाता था। उस दिन लूणाराम पी.ड.10 का अपने साथ मजदूरी करने गया हुआ होना बताया। कोलायत से रात को नौ बजे ये इसके घर पहुंचे थे। तब श्रवणराम का अपने घर पर लूणाराम का इंतजार कर रहे होना बताया। बाद में लूणाराम, श्रवणराम के साथ इसके घर से अपने घर चला गया।

28- इस प्रकार घटना से पूर्व उक्त गवाह सतपाल पी.ड.12 व पी.ड.10 लूणाराम दोनो पिकअप गाडी में कोलायत से आ रहे थे। नौ बजे ये दोनो सतपाल पी.ड.12 के घर पहुंच गये थे। गवाह पी.ड.10 लूणाराम उस दिन सुबह स्वयं को अभियुक्त द्वारा फोन करके पूछना बताता है कि गांव आ रहे हो क्या, और शाम को वह पी.ड.12 सतपाल के घर पर लूणाराम का इंतजार करते मिला था और फिर नौ बजे लूणाराम के साथ में सतपाल के घर से गया था। गवाह पी.ड.12 सतपाल का

मुख्य परीक्षण में आगे कथन है कि **रात को 11 बजे शंकरलाल नाई का उसके पास फोन आया और उसने बताया कि लूणाराम के भाई राजुराम को श्रवणराम ने सीतादास के घर के पास गली में मार दिया है।** ये मौके पर गया तो वहां राजुराम मृत अवस्था में पड़ा था और गांव के लोग इक्कठे थे। गवाह ने कहा कि **राजूराम के श्रवणराम ने बिना किसी बात के ही मार दिया था।** जिरह में कहा कि श्रवणराम को राजुराम के साथ मारपीट करते नहीं देखा। यह सही है कि राजुराम को श्रवणराम के द्वारा मारने की बात इसने लोगो से सुनी थी और अपनी आंखो से नहीं देखी थी।

29- इस प्रकार इस गवाह के कथनानुसार मृतक राजुराम गवाह पी.ड.10 लूणाराम का भाई है और मृतक की हत्या से एक घंटे पूर्व लगभग अभियुक्त श्रवणराम पी.ड.10 लूणाराम के साथ था।

30- गवाह पी.ड.10 की साक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। गवाह लूणाराम पुत्र दुर्गाराम मृतक राजूराम पुत्र दुर्गाराम का सगा भाई है। इसने अपनी जिरह में कथन किया है कि ये पी.ड.12 सतपाल की पिकअप गाड़ी पर मजदूरी का काम करता है। शराब नहीं पीता है। पुलिस बयान प्रदर्श डी1 का ए से बी हिस्सा सुनकर कहा कि इसने नहीं लिखाया। इसके बयानों के संदर्भ में पुलिस बयान प्रदर्श डी1 का अवलोकन से ए से बी हिस्से में लिखा है कि **मैं व श्रवणराम नायक दोनो कई बार साथ में शराब पीते थे।** सी से डी भाग में **लिखा है कि मेरे घर वाले मेरे व श्रवणराम के साथ शराब पीने पर नाराज होते थे।** उक्त सी से डी हिस्सा भी पुलिस को नहीं लिखाना बताया है। आगे जिरह में कथन किया है कि **मुझे सतपाल गोदारा ने मजदूरी के पैसे देने के लिए फोन किया था।** जबकि गवाह पी.ड.12 सतपाल कहता है कि ये लूणाराम उसके साथ पिकअप में कोलायत से आया था। अपने भाई राजूराम (मृतक) से उस दिन मोबाईल पर बात होना बताता है। अपने भाई के मोबाईल नंबर 7726042721 होना बताये है। सतपाल से अपनी मजदूरी के पैसे लेकर अपने घर आ जाना बताया। यह सही बताया कि जहां इसका भाई घायल अवस्था में पड़ा था वहां सार्वजनिक रास्ता है और आवागमन होता रहता है। ये मौके पर पहुंचा तक करीब 10-15 गांव के लोग खड़े थे। उन खड़े लोगो के पास में किसी के पास लाठी नहीं थी। अजखुद कहा कि मुल्जिम के पास थी जो भाग गया। अपनी आंखो से अपने भाई के साथ में मारपीट करते नहीं देखना बताया।

31- गवाह पी.ड.3 नानुराम का कथन है कि दिनांक 09.03.2022 को मुकदमा नंबर 38/2022 में राजू के शव की फोटोग्राफी की गई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 3 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताये। मृतक के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 4 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताये। फर्द पंचनामा व सूरतहाल लाश प्रदर्श पी5, फर्द सुपुर्दगी सोने जैसी लूंग मृतक राजुराम प्रदर्श पी7, फर्द जब्ती खून

आलुदा पार्चेजात मृतक प्रदर्श पी6, फर्द सुपुर्दगी शव प्रदर्श पी7 तथा नक्शा-मौका घटनास्थल प्रदर्श पी9, फर्द जब्ती खून आलुदा मिट्टी प्रदर्श पी10 व सादा मिट्टी प्रदर्श पी11 पर सी से डी गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताये है।

32- जिरह में कथन किया फोटोग्राफी करने वाले पुलिस वाले थे, जो मोबाईल से कर रहे थे। फोटोग्राफी सीएचसी श्रीडुंगरगढ में की थी। फोटोग्राफी करने वाले का नाम रामचंद्र था। प्रदर्श पी5 मोर्चरी के बाहर बैठकर बनाया था। ये मोर्चरी के बाहर बैठा था। मृतक के दोनो कानो की सोने जैसी लूंग उसके चाचा ओमाराम को सुपुर्द की थी। इसने कोई घटना होते नहीं देखनी बताई।

33- गवाह पी.ड.4 पूर्णाराम फर्द पंचनामा मृतक राजुराम प्रदर्श पी5 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना बताता है।

34- जिरह में बताया कि पंचनामा मोर्चरी के बाहर कमरे में बनाया था। बाहर वाले कमरे में ये पांच जने बैठे थे।

35- पी.ड.5 डूंगरराम भी फर्द पंचनामा प्रदर्श पी5 पर जी से एच अपने हस्ताक्षर होना बताता है और जिरह में पंचनामा मोर्चरी के बाहर वाले कमरे में बनाना बताता है।

36- गवाह पी.ड.6 सोहनलाल भी पंचनामा प्रदर्श पी5 पर के से एल स्थान पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। फर्द जब्ती खून आलुदा पार्चेजात एक लोवर व बनियान मृतक राजुराम प्रदर्श पी6 पर तथा फर्द सुपुर्दगी लूंग प्रदर्श पी7, फर्द सुपुर्दगी शव प्रदर्श पी8, नक्शा-मौका घटनास्थल प्रदर्श पी9, फर्द जब्ती खून आलुदा मिट्टी प्रदर्श पी10 व जब्ती सादा मिट्टी प्रदर्श पी11 पर ई से एफ गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताये है। जिरह में बताया कि इसने घटना नहीं देखी थी, सिर्फ अस्पताल गया था।

37- गवाह पी.ड.7 तोलाराम फर्द पंचनामा प्रदर्श पी5 पर एल से जे अपने हस्ताक्षर होना बताये है। जिरह में पंचनामा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर वाले कमरे में बनाया था। उस वक्त राजुराम के शरीर पर जगह-जगह चोटें लगी होना बताया।

38- गवाह पी.ड.11 रतनकुमार का कथन है कि दिनांक 09.03.2022 को वह पुलिस थाना सेरूणा में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज ये कार्यवाहक थानाधिकारी था। उस रोज ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम ने थाने पर उपस्थित होकर प्रदर्श पी1 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ए से बी परिवादी के हस्ताक्षर, सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर व ई से एफ स्थान पर स्वयं का पृष्ठांकन होना बताया। चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 पर ए से बी ओमप्रकाश के व सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये। एफआईआर दर्ज कर पत्रावली रामचंद्र ढाका को सुपुर्द करना बताई।

39- जिरह में इस प्रकरण में स्वयं द्वारा अनुसंधान नहीं करना बताया। प्रदर्श पी1 पर दिनांक अंकित नहीं है।

40- गवाह पी.ड.14 मुकेश कुमार कांस्टेबल अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी का गवाह है जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 09.03.2022 को मुकदमा नंबर 38/2022 में अनुसंधान अधिकारी रामचंद्र ढाका द्वारा अभियुक्त **श्रवणराम को थाना परिसर में गिरफ्तार किया था।** जिसकी फर्द गिरफ्तारी व जमा तलाशी प्रदर्श पी19 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये है। फर्द जब्ती खून आलुदा पार्चेजात एक टीशर्ट मुलजिम श्रवणराम प्रदर्श पी20 होना व इस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित होना बताया।

41- फर्द बरामदगी एक लाठी बांस अजाने इत्तला श्रवणराम प्रदर्श पी21 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित होना बताई। नक्शा-मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी22 पर भी ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये।

42- जिरह में इस गवाह का कथन है कि थाने में श्रवणराम की गिरफ्तारी रात्रि के 11.40 पी.एम. पर हुई थी। थाने कौन लेकर आया पता नहीं। प्रदर्श पी19 तैयार करते समय इसके अलावा विक्रांत मीणा व थानाधिकारी थे। मुलजिम के पास उसके कपड़ो के अलावा दो की पैड मोबाईल मिले थे जो उसकी टी शर्ट की जेब में थे या नहीं याद नहीं। बरामदशुदा लाठी पुरानी थी, जिसमें चार गांठ थी। लोहे की तार या कोई पोला लगा हो तो याद नहीं। प्रदर्श पी21 अनुसंधान अधिकारी की कलमी है। प्रदर्श पी 22 में एक्स स्थान पर कोई व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता क्योंकि उक्त जगह निजी मकान है।

43- गवाह पी.ड.15 हनुमानाराम कांस्टेबल का कथन है कि दिनांक 13.03.2022 को मुकदमा नंबर 38/2022 में अनुसंधान अधिकारी रामचंद्र ढाका द्वारा आरोपी श्रवणराम की तस्दीक पर घटनास्थल का तस्दीकशुदा नक्शा-मौका व हालात मौका तैयार किया था जिसकी फर्द तस्दीक प्रदर्श पी23 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये है। नक्शा-मौका तस्दीकशुदा घटनास्थल व हालात मौका प्रदर्श पी24 व 24ए पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये है।

44- जिरह में कथन किया कि ये दिनांक 13.03.2022 को चार साढे चार पी.एम. पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। साथ में एसएचओ श्रवणराम व विक्रांत थे। प्रदर्श पी24 मौका रास्ता आम है जो खुली जगह है। प्रदर्श पी24 में एक्स स्थान पर कुछ नहीं मिला था।

45- गवाह पी.ड.16 सांवतराम जो अभियुक्त का पिता है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि वह मोबाईल फोन का उपयोग नहीं करता है। इसका बेटा श्रवणराम मोबाईल का उपयोग करता है। श्रवणराम ने मेरे नाम से सिम निकलवाई या नहीं पता नहीं। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। फिर जिरह में कहा

है कि श्रवणराम को कभी मोबाईल फोन को रखते व उपयोग करते नहीं देखा। बल्कि मुख्य परीक्षण में ये गवाह अपने बेटे द्वारा मोबाईल उपयोग करना बताता है।

46- गवाह पी.ड.17 श्री राजेश त्रिपाठी नोडल अधिकारी वोडाफोन आईडिया लिमिटेड का कथन है कि एसपी बीकानेर के पत्र क्रमांक 135 दिनांक 24.03.2022 की पालना में मोबाईल नंबर **8239334268** एवं **9587886269** की दिनांक 07.03.2022 से 08.03.2022 तक की कॉल डिटेल कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई थी। उक्त डिटेल के संबंध में मेरे द्वारा जारी किया गया धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी26 है जिस पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर सील होना बताई है। मोबाईल नंबर **8239334268** की कॉल डिटेल कुल छः पेज में है जो प्रदर्श पी27 है जिस पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मोहर होना बताई है। उक्त नंबर का कस्टमर एप्लीकेशन फार्म प्रदर्श पी28 है जो कुल चार पृष्ठो में है जिस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मोहर है तथा उक्त नंबर सांवताराम के नाम से जारी था।

47- मोबाईल नंबर **9587886269** की कॉल डिटेल चार पेज में है, जो प्रदर्श पी29 है। जिस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मोहर होना बताई है। उक्त नंबर का कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्श पी30 कुल दो पृष्ठों में होना जिस पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मोहर होना तथा **उक्त नंबर श्रवणराम के नाम से जारी होना बताया।**

48- गवाह पी.ड.1 राजेश त्रिपाठी का जिरह में कथन है कि मोबाईल नंबर **8239334268** सांवताराम व **9587886269** श्रवणराम के नाम से है। सांवताराम के नाम से मोबाईल नंबर 01.11.2019 को व श्रवणराम के नाम से जो नंबर जारी हुआ वह 23.12.2017 से जारी था। मोबाईल नंबर **7726042731** से श्रवणराम के मोबाईल पर कभी बात हुई है तो कॉल डिटेल में होगा और नहीं हुई तो नहीं होगा। मोबाईल नंबर **9587886269** की लोकेशन दिनांक 08.03.2022 को कहां थी, इसका अंकन प्रत्येक कॉल के आगे डिटेल में होता है। यह सही है कि मैंने दोनों नंबर का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं किया था। प्रदर्श पी 26 से पी 29 तक समस्त कागजात मैंने स्वंय ने ही तैयार किये है। दोनों मोबाईल नंबर के अन्य व्यक्ति उपयोग में ले इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

49- गवाह पी.ड.18 अशोक कुमार का मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 09.03.2012 को वह पी.एस. सेरूणा में एफ.सी. के पद पर तैनात था। उस रोज एस.एच.ओ. रामचन्द्र डाका के निर्देशानुसार मैं श्रीडूंगरगढ सी.एच.सी. पहुंच कर मृतक राजूराम मृतक दुर्गाराम जातियान जाट निवासीगण बींझासर के शव के फोटोग्राफस मेरे मोबाईल पर खींचे थे। उक्त फोटोग्राफस को मैंने जिस हालत में लिये थे उसी हालत में बिना कांटा छांट किये एस.एच.ओ. को सुपर्द किये थे। मेरे द्वारा

उक्त फोटोग्राफस की एडिटिंग व कांटाछांट नहीं की गई थी। फर्द फोटोग्राफी शव प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा खींचे गये फोटोग्राफस प्रदर्श पी 04 है।

50- गवाह पी.ड.18 अशोक कुमार का जिरह में कथन है कि फोटो मैंने मोर्चरी में खींची थी। उस समय एस.एच.ओ. और दो गवाह थे। गवाह प्राईवेट थे। मैंने शव के हाथ नहीं लगाया था। मैंने धारा 65 बी का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। शव की बनियान किसने उतारी थी आज मुझे याद नहीं है। मैंने मोबाईल से फोटो पैन ड्राईव में नहीं डाली थी। फोटो मैंने सेरूणा में फोटोग्राफर से निकलवाई थी जिसका नाम आज मुझे याद नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 04 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मैंने फोटो निकलवाने के बाद किसी के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे मैंने उक्त फोटोग्राफस एस.एच.ओ. को सुपुर्द कर दी थी। यह सही है कि प्रदर्श पी 04 पर दिनांक का अंकन नहीं है। शव को उल्टा सीधा किसने किया मुझे याद नहीं है। फोटो मैंने पोस्टमार्टम से पहले खींची थी। उस वक्त वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था। शव को मौके पर से मैं नहीं लेकर आया था। यह कहना गलत है कि फोटो मैंने नहीं खींची हो और आज मैं झूठे बयान दे रहा हो।

51- गवाह पी.ड.19 विक्रांत मीणा फर्द गिरफ्तारी व फर्द जब्ती का गवाह है। इसका मुख्य परीक्षण में कथन है कि मैं दिनांक 09.03.2022 को पीएस सेरूणा में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज एसएचओ रामचन्द्र ढाका ने मुकदमा नम्बर 38/2022 में आरोपी श्रवणराम पुत्र सांवतराम जाति नायक निवासी बिंझासर पीएस सेरूणा को मेरे सामने गिरफतारी व जामा तलाशी थाना परिसर में जरिये फर्द प्रदर्श पी 19 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 10.03.2022 को मुलजिम श्रवणराम के खून अलूदा पार्चेजात जब्त किये थे जिसकी फर्द प्रदर्श पी 20 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 11.03.2022 को मुलजिम श्रवणराम नायक से एक लाठी बरामद की थी फर्द बरामदगी लाठी फर्द प्रदर्श पी 21 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका मेरे सामने बनाया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 22 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 13.03.2022 को मेरे सामने मुलजिम श्रवणराम से घटनास्थल की फर्द तस्दीक घटनास्थल अजाने ईतला आरोपी श्रवणराम बनाई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 23 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटनास्थल मय हालात मौका प्रदर्श पी 24 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

52- जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि गिरफ्तारी के समय मुलजिम के पहने हुए कपड़ो के अलावा उसके पास दो मोबाईल थे जो की पैड वाले आईटेल व लावा कंपनी के थे। मुलजिम की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। लाठी सांवतराम के घर से बरामद की थी। उस समय सांवतराम घर पर था या नहीं पता नही। उस समय घर की बाखल के आगे तार लगा हुआ

था, जिसको हटाकर अंदर गया था। उस रोज मैं, मुकेश एफसी, संदीप एफसी, अभियुक्त श्रवणराम व थानेदारजी वहां गये थे। लाठी में चार गांठे थी। यह सही बताया कि लाठी मुलजिम के कब्जे में नहीं मिली थी, लेकिन उसके बताये अनुसार जगह पर मिली थी। बरामदगी स्थल सुना मकान नहीं था, वह रिहायशी मकान था। मकान सावंताराम का था। उसमें कौन रहता है पता नहीं। लाठी कमरे में बनी लटाण से मुलजिम के कहे अनुसार बरामद की। मुलजिम ने लाठी लटाण से उतार कर दी थी। घटनास्थल आम रास्ता है वहां आवागमन रहता है।

53- गवाह पी.ड.9 डॉ. जगदीश गोदारा का मुख्य परीक्षण में कथन है कि वह दिनांक 10.03.2022 को सी0एच0सी0 श्रीडूंगरगढ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एस.एच.ओ. सैरूणा के प्रतिवेदन पर प्रकरण संख्या 38/2022 में मृतक राजूराम पुत्र दुर्गाराम के शव का पोस्टमार्टम करने हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें मैं व डॉक्टर दौलतराम भारी सदस्य थे। मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक के शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, सी से डी बोर्ड के अन्य सदस्य डॉक्टर दौलतराम भारी के हस्ताक्षर है, ई से एफ मृतक के शरीर पर आई चोटों का विवरण है व जी से एच मेडिकल बोर्ड की राय अंकित है। पोस्टमार्टम के समय मृतक के विसरा, खून, फेफड़े, लिवर, तिल्ली, किडनी व हृदय के टुकडे जार ए, बी, व सी में संग्रहित कर जांच हेतु पुलिस को सुपुर्द किये थे। प्रदर्श पी 12 के अनुसार मृतक के शरीर पर निम्न चोटे आई थीः-

1. मृतक की पीठ पर पीछे की तरफ बहुसंख्या में निलगू चोटों के निशान थे, जो कि समानान्तर थे व इनका साईज 22 ×16 सेमी था।

2. कुचला हुआ घाव बायें कान के उपर था जिसका आकार 5 ×0.5 सेमी था।

54- उपरोक्त दोनों चोटें मृत्यु से पूर्व कारित की गई थी। बोर्ड की राय के अनुसार मृतक की मृत्यु के बारे में राय एफ.एस.एल जांच रिपोर्ट के बाद ही दिये जाने का अंकन है। एफ.एस.एल. जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है जो शामिल पत्रावली है, जिसके अनुसार मृतक के शरीर में जहर, एल्कोहोल, साईनाईड, एल्केलाईड व किसी भी प्रकार का कीटनाशक होना नहीं पाया गया है। प्रदर्श पी 12 व 13 रिपोर्ट का संकलित रूप से अवलोकन करने से मेरी राय में मृतक की मृत्यु, उसकी मृत्यु से पूर्व शरीर पर आई चोटों से होना पाया गया है।

55- इस प्रकार गवाह पी.ड.9 डॉ. जगदीश के कथनानुसार मृतक के शरीर पर पाई गई चोटो में मृतक की पीठ पर पीछे की तरफ बहुत संख्या में निलगू चोटो के निशान होना बताये है जो कि समानांतर थे। इस संबंध में पत्रावली पर विद्यमान गवाहान की मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो गवाह पी.ड.8 भंवरलाल ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटनास्थल पर राजुराम उल्टा पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसे बंद थी। गवाह पी.ड.2 श्रवणराम पुत्र

ओमप्रकाश का कथन है कि उसने देखा तो श्रवणराम नायक (अभियुक्त) राजुराम के साथ लाठी से मारपीट कर रहा था। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा (मृतक) राजुराम को धरती पर उल्टा पड़े हुए को लाठी से मारपीट कर रहा था और गवाह पी.ड.2 श्रवणराम द्वारा उसे दकालने पर भी वह नहीं माना यानि वह लाठी की राजुराम के मारता रहा, जिससे उसकी पीठ पर कई चोटे निलगू आई है। इस प्रकार प्रदर्श पी12 की चोट संख्या 01 व डॉ. पी.ड.9 श्री जगदीश गोदारा के कथनों की पुष्टि चश्मदीद गवाह पी.ड.2 श्रवणराम व पी.ड.8 भंवरलाल के कथनों से होती है। अभियुक्त द्वारा बारंबार लाठी की राजुराम की पीठ पर चोटे मारने से ही उसकी पीठ में बहुसंख्या में निलगू निशान आये है। प्रदर्श पी12 की चोट संख्या 1 व 2 दोनो चोटे मृत्यु से पूर्व कारित होना बताई है।

56- एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी13 में मृतक के शरीर में जहर, एल्कोहॉल आदि नहीं पाया गया है। इससे जिरह में अभियोजन के गवाहान से विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किया गया यह प्रश्न स्वतः नासाबित हो जाता है कि मृतक राजुराम वक्त घटना अत्यधिक शराब पीया हुआ था और इस कारण से गिरने से उसके चोटे आई और उनसे उसकी मृत्यु हो गई। गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश, पी.ड.2 श्रवणराम, पी.ड.8 भंवरलाल ने उन्हें जिरह में उपरोक्त सुझाव का उत्तर गलत होना बताया है जिसकी पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी13 व पी9 जगदीश गोदारा के कथनो से होती है।

57- गवाह पी.ड.9 डॉ. जगदीश गोदारा ने मृतक की मृत्यु कारण प्रदर्श पी12 व पी13 रिपोर्ट संकलित रूप से अवलोकन करने से अपनी राय में उसके शरीर पर मृत्यु से पूर्व आई हुई चोटो से आना बताया है। गवाह पी.ड.2 श्रवणराम घटना के चश्मदीद गवाह ने उक्त चोटें प्रदर्श पी12 में अंकित लाठी द्वारा अभियुक्त श्रवणराम द्वारा राजुराम के कारित करते देखना बताया है। तत्पश्चात अभियुक्त का हाथ में लाठी लेकर भागते देखना गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश, पी.ड.2 श्रवणराम, पी.ड.8 भंवरलाल ने अपनी साक्ष्य में बताया है।

58- गवाह पी.ड.9 डॉ. जगदीश गोदारा ने अपनी जिरह में कथन किया है प्रदर्श पी12 रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मृत्यु का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। मृतक की मृत्यु दिनांक 08.03.2022 समय 12.40 पीएम की भी हो सकती है। चोट संख्या 1 के अनुसार मृतक के शरीर पर खून नहीं आ रहा था।

59- **यह कहना गलत बताया कि चोट संख्या 1 शरीर का मर्म भाग नहीं हो।** मृतक का पोस्टमार्टम डॉ. श्री दौलताराम भाटी व स्वयं द्वारा किया जाना बताया। यह सही बताया कि मृतक के शरीर पर सभी मुख्य अंग स्वस्थ थे व उन पर चोटे नहीं पाई गई।

60- गवाह पी.ड.20 रामचन्द्रसिंह अनुसंधान अधिकारी का मुख्य परीक्षण में कथन है कि मै। दिनांक 08.03.2022 को पीएस सेरूणा में थानाधिकारी के पद पर

कार्यरत था। उस रोज समय 10.48 पी.एम. पर जरिये दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बींझासर में नायक व जाट के झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिस पर मय जाब्ता मौका पर पहुंचे तो वहां पर खून से लथपथ एक लाश मिली जो राजूराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट उम्र 22 साल निवासी बींझासर की थी। राजूराम के साथ, श्रवणराम पुत्र सांवताराम जाति नायक निवासी बींझासर के द्वारा लाठी से मारपीट कर गुंसाईसर की तरफ भागना वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया था। उक्त राजूराम के शव को विनोद कुमार एच.सी., विजय कुमार का.नि के साथ प्राईवेट साधन से सी.एच.एस. डूंगरगढ में भिजवाया गया। घटनास्थल को सुरक्षित किया जाकर निगारानी हेतु विनोद व रामनिवासी का.नि को मौका पर छोड़ा गया। सी.एच.सी. डूंगरगढ जब मय जाब्ता पहुचे तो चिकित्सक द्वारा राजूराम को मृत घोषित करने पर मृतक राजूराम के शव को मोर्चरी में भिजवाया गया। आरोपी श्रवणराम को दिनांक 09.03.2022 को ग्राम आशासर तहसील सरदारहशहर से पुलिस टीम द्वारा दस्तियाब किया जाकर पुलिस थान श्रीडूंगरगढ पहुंचकर आरोपी श्रवणराम नायक को सुभाष एच.सी. मय जाब्ता की निगरानी में छोड़ा गया व रतन कुमार सहायक उपनिरीक्षक द्वारा प्रकरण की एफ.आई.आर. जुर्म धारा 302 भा.द.सं. में दर्ज की गई व आगामी अनुसंधान हेतु मुझे मूल पत्रावली प्राप्त हुई थी। जिस पर मैं मोर्चरी रूम अस्पताल डूंगरगढ पहुंचकर मृतक राजूराम के शव की फोटोग्राफी की गई जो वारिसान की उपस्थिति में की गई। मृतक के शव का फर्दपंचनामा व फर्दसूरत लाश तैयार की गई। लाश का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। दौरानें पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा मृतक राजूराम के खून आलूदा पार्चेजात पेश करने पर जरिये फर्द जब्त किये गये। मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक के कानों में पहने हुए लूंग पेश करने पर जरिये फर्द सुपुर्दगी वारिसान को दिये गये। अस्पताल डूंगरगढ से रवाना होकर मौका पर पहुंचकर नक्शामौका बनाया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी ली जाकर सील मोहर की गई। घटनास्थल से रवाना होकर सेरूणा थाना पहुंचकर दस्तियाबशुदा आरोपी श्रवणराम नायक को श्री सुभाषचन्द्र एच.सी. मय जाब्ता द्वारा पेश किये जाने पर बाद अनुसंधान जरिये फर्द गिरफतार किया गया। आरोपी श्रवणराम के वरवक्त घटना पहने खून आलूदा पार्चेजात को जरिये फर्द जब्त किया गया। आरोपी श्रवणराम नायक के मोबाईल नंबर 9587886269 एवं मोबाईल नंबर 8239334268 की सी.डी.आर. प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। फर्द फोटोग्राफी शव मृतक राजूराम प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ अशोक व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फोटोग्राफ शव मृतक राजूराम प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, के हस्ताक्षर है। फर्द पंचनामा फर्द सूरत लाश प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ पूर्णाराम व जी से एच डूंगरराम व आई से जे तोलाराम, के से एल सोहनलाल व एम से एन मेरे हस्ताक्षर है।

फर्दजब्ती खून आलूदा पार्चेजात मृतक राजूराम प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ सोहनराम व जी से एच चिकित्सा अधिकारी व आई से जे मेरे हस्ताक्षर है व तीन जगह नमूना सील का अंकन है। फर्द सुपुर्दगी लूंग सोने की धातु प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ सोहनराम, जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी शव राजूराम प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ सोहनराम, जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 09 जिसका हालातमौका प्रदर्श पी 09 है है जिन पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ सोहनलाल मौतबीरान के हस्ताक्षर व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्दजब्ती खून आलूदा मिट्टी अजाने घटनास्थल प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ सोहनलाल मौतबीरान के हस्ताक्षर व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। फर्दजब्ती सादा आलूदा मिट्टी अजाने घटनास्थल प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी ओमप्रकाश, सी से डी नानूराम, ई से एफ सोहनलाल मौतबीरान के हस्ताक्षर व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। पी.एम.आर. मृतक राजूराम प्रदर्श पी 12 है जो मेरे द्वारा शामिल पत्रावली की गई थी। माल वजह सबूत को एफ.एस.एल. में जमा करवाने हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए दी गई का.नि महावीर प्रसाद तहरीर प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी महावीर के हस्ताक्षर है। एफ0एस0एल0 बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है। एस.पी. कार्यालय बीकानेर से जारी अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 14 है। एफ.एस.एल. बीकानेर में वजह सबूत जमा करवाने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 15 है। वजह सबूत एफ.एस.एल. जयपुर में जमा करवाने हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 16 है। एस.पी. कार्यालय बीकानेर से जारी अग्रेषण पत्र वास्ते एफ0एस0एल0 जयपुर प्रदर्श पी 17 है। एफ.एस.एल. जयपुर में वजह सबूत जमा करवाने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 18 है। फर्द गिरफतारी व जमा तलाशी आरोपी श्रवणराम प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी मुकेश व सी से डी विक्रांत, ई से एफ आरोपी श्रवणराम व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती खून आलूदा पार्चेजात अजाने आरोपी श्रवणराम प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी मुकेश व सी से डी विक्रांत, ई से एफ आरोपी श्रवणराम व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है व तीन जगह नमूना सील का अंकन है। आरोपी श्रवणराम की इतला पर एक लाठी को उसके घर से बरामद किया था जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी मुकेश व सी से डी विक्रांत, ई से एफ आरोपी श्रवणराम व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है, तीन जगह नमूना सील का अंकन है। उक्त बरामदगीस्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 22 है व जिसका हालातमौका प्रदर्श पी 22 ए है, प्रदर्श पी 22 पर ए से बी मुकेश व सी से डी विक्रांत, ई से एफ आरोपी श्रवणराम व जी से एच

मेरे हस्ताक्षर है व प्रदर्श पी 22 ए पर जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक घटनास्थल अजाने इतला आरोपी श्रवणराम प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी मुकेश व सी से डी विक्रांत, ई से एफ आरोपी श्रवणराम व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। नक्शामौका घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी हनुमानाराम व सी से डी विक्रांत, ई से एफ आरोपी श्रवणराम व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 24 ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 31 है। फर्द इतला धारा 27 आरोपी श्रवणराम लाठी प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी आरोपी श्रवणराम व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द विश्लेषण कॉल डिटेल आरोपी श्रवणराम प्रदर्श पी 33 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द इतला धारा 27 आरोपी श्रवणराम तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 34 है जिस पर ए से बी आरोपी श्रवणराम व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 35 है जो तीन पेज में है। कॉल डिटेल प्रदर्श पी 26 को प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। मोबाईल नंबर 7726042731, 8302393130 की कॉल डिटेल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 36 है जो दस पेज में है। मोबाईल नंबर 9602411327, 9664122667 की कॉल डिटेल मय 65 बी प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी 37 है जो छः पेज में है। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 38 है जिसकी प्रति न्यायालय पत्रावली पर प्रदर्श पी 38 ए है, जिसकी क्रम संख्या 131 पर प्रकरण से संबंधित वजह सबूत का इन्द्राज है व ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाहान ओमप्रकाश, सत्यपाल, श्रवणकुमार, भंवरलाल, राजेश कुमार, महावीरप्रसाद, के बयान कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये थे।

61- माल वजह सबूत न्यायालय में सही व सील्ड हालत में पेश हुआ जिसे खोलने की अनुमति दी गई। जिस पर गवाह ने कथन किया कि आर्टिकल 01 एक एफ.एस.एल. से प्राप्त सफेद कपड़े की थैली है जिसका मुंह सफेद धागे व चपड़ी से बंधा हुआ है। जिसको खोलने पर अन्दर एक अन्य सफेद कपड़े की थैली मिली जिसका मुंह धागे व चपड़ी व चिट दस्तखती के साथ से बंधा हुआ था व थैली फटी हुई है, उक्त थैली के उपर एक चिट दस्तखती चिपकी हुई है जिस पर मार्क सी अंकित है, जो प्रदर्श पी 39 है, धागे के साथ बंधी चिट दस्तखती प्रदर्श पी 39 की कार्बन प्रति है जो प्रदर्श पी 39 ए है जिन पर ए से बी मेरे, सी से डी नानूराम, ई से एफ सोहनलाल, जी से एच ओमप्रकाश व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। थैली के अन्दर घटनास्थल से उठाई गई सादा मिट्टी व एफ.एस.एल. से परीक्षण पूर्ण होने की चिट मिली जो प्रदर्श पी 40 है।

62- आर्टिकल 02 एक एफ.एस.एल. से प्राप्त सफेद कपड़े की थैली है जिसका मुंह सफेद धागे व चपड़ी से बंधा हुआ है। जिसको खोलने पर अन्दर एक अन्य सफेद कपड़े की थैली मिली जो खुली अवस्था मे है, उक्त थैली के उपर एक चिट

दस्तखती चिपकी हुई है जिस पर मार्क बी अंकित है, जो प्रदर्श पी 41 है, जिन पर ए से बी मेरे, सी से डी सोहनलाल, ई से एफ नानूराम, जी से एच ओमप्रकाश व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। थैली के अन्दर घटनास्थल से उठाई गई खून आलूद मिट्टी लिफाफे पैकैट में व एफ.एस.एल. से परीक्षण पूर्ण होने की दो चिट मिली जो प्रदर्श पी 42 व 43 है।

63- आर्टिकल 03 एक एफ.एस.एल. से प्राप्त सफेद कपड़े की बड़ी थैली है जिसका मुंह सफेद धागे व चपड़ी से बंधा हुआ है। जिसको खोलने पर अन्दर एक अन्य सफेद कपड़े की थैली मिली जिसका मुंह सील चपड़ी व चिट दस्तखती के साथ बंध है। उक्त थैली के उपर एक चिट दस्तखती चिपकी हुई है जिस पर मार्क ई अंकित है, जो प्रदर्श पी 44 है, धागे के साथ बंधी चिट दस्तखती प्रदर्श पी 44 की कार्बन प्रति है जिन पर ए से बी मेरे, सी से डी श्रवण, ई से एफ विक्रांत, जी से एच मुकेश व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। थैली के अन्दर बांस की लाठी मिली व एफ.एस.एल. से परीक्षण पूर्ण होने की चिट मिली जो प्रदर्श पी 45 है।

64- आर्टिकल 04 एक एफ.एस.एल. से प्राप्त सफेद कपड़े की बड़ी थैली है जिसका मुंह सफेद धागे व चपड़ी से बंधा हुआ है। जिसको खोलने पर अन्दर दो अन्य सफेद कपड़े की थैलियां मिली जो खुली अवस्था में मिली। प्रथम थैली के अन्दर एक टी-शर्ट बरंग लाल खून आलूदा व दो चिटे मिले जिनमें एक चिट जिस पर मार्क डी अंकित है जो प्रदर्श पी 46 है, जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी श्रवण, ई से एफ विक्रांत, जी से एच मुकेश व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। दूसरी चिट एफ.एस.एल से परीक्षण पूर्ण होने की है जो प्रदर्श पी 47 है। द्वितीय थैली के उपर एक चिट दस्तखती मार्क ए चिपकी हुई है, जो प्रदर्श पी 48 है। थैली के अन्दर एक सफेद रंग की बनियान फटी मिली जिस पर खून के छींटे लगे हुए है व एक स्लेटी रंग की लोवर खून आलूदा मिली। प्रदर्श पी 48 पर ए से बी मेरे, सी से डी सोहनलाल, ई से एफ नानूराम, जी से एच ओमप्रकाश व तीन जगह एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। थैली के अन्दर दो अन्य चिट मिली जो प्रदर्श पी 49 व 50 है जो एफ.एस.एल. से प्राप्त है।

65- डूंगरगढ एम.ओ. द्वारा लिये गये सैम्पल जार ए व बी का पत्र प्रदर्श पी 51 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। डूंगरगढ एम.ओ. द्वारा लिये गये बल्ड सैम्पल का पत्र प्रदर्श पी 52 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

66- आर्टिकल 04 बड़ी थैली के अन्दर एक अन्य बॉक्स मिला जो खुली अवस्था में है, जिसके उपर एक चिट दस्तखती चिपकी हुई है जिसके अन्दर दो जार है। थैली के अन्दर एफ 0 एस 0 एल 0 की एक पर्ची मिली जो प्रदर्श पी 53 है।

67- मुलजिम श्रवणराम के पिता सांवतराम के आवासीय पट्टे की फोटो प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा पूर्ण किया

जाकर आरोपी श्रवणराम पुत्र सांवतराम जाति नायक निवासी बींझासर तहसील डूंगरगढ जिला बीकानेर के विरूद्ध जुर्म धारा 201, 302, भा.दं.सं. पाये जाने पर न्यायालय में चालान पेश किया गया।

68- गवाह पी.ड.20 रामचन्द्रसिंह अनुसंधान अधिकारी का जिरह में कथन है कि मुझे दिनांक 08.03.2022 को सबसे पहले घटना के बारे में सूचना किस व्यक्ति से मिली उसका नाम आज याद नहीं है। उस व्यक्ति के मोबाईल नंबर भी मुझे आज याद नहीं है। घटना की सूचना थाने के दूरभाष नंबरों पर नहीं आई थी बल्कि मेरे निजी मोबाईल पर आई थी। गवाह को न्यायाजय में मौजूद लाठी दिखाकर पूछा गया कि इस पर खून लगा है क्या तो गवाह ने कहा कि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यह सही है कि ऐसी लाठी जैसी लाठी बाजार में मिल जाती है। यह सही है कि बरामदशुदा लाठी प्रदर्श पी 45 के उपर आये फिन्गर प्रिन्ट की मैंने कोई जांच नहीं करवाई थी। यह कहना सही है कि उक्त लाठी कटा हुआ बांस का लठ है। यह कहना सही है कि उक्त लाठी के दोनों सिरों पर छेद है। दौराने अनुसंधान यह बात मेरी जानकारी में आई थी कि यह लाठी मुलजिम श्रवण की है। यह सही है कि उक्त लाठी मंे चार ही पोरियां है, स्वतः कहा कि पांचवी गांठ आधी कटी हुई है। प्रदर्श पी 22 तैयार किया उस समय उस मकान में कौन कौन व्यक्ति थे मुझे ध्यान नहीं है, मकान खुला था व आरोपी के वारिस वहां पर थे, आरोपी की पत्नी वहां पर थी या नहीं मुझे पता नहीं। आरोपी को पूछकर ही मैंने लिखा था कि इसमें जो मिले वो आरोपी के वारिस है। मैंने प्रदर्श पी 22 तैयार किया उस समय घर पड़ोसियान ओमप्रकाश, सोहनराम, बालूराम, मालूराम को बुलाया या नहीं बुलाया यह याद नहीं है। घटनास्थल सार्वजनिक रास्ता है। सादा मिट्टी घटनास्थल से दिनांक 09.03.2022 को उठाई थी। यह सही है कि उक्त रास्ता पर गाडियां निकलती है और आवागमन रहता है लेकिन मैंने मुलाजमान को घटनास्थल सुरक्षित रखने के लिए छोड़ा हुआ था। यह कहना गलत है कि मेरे को मौका पर गिली मिट्टी ना मिली हो स्वतः कहा कि खून आलूदा मिली थी। यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर सूचना मिलने के करीब 20 घंटे बाद पहुंचा हो, स्वतः कहा कि करीब 12 घंटे के अन्दर पहुंच गया था। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक 08.03.2022 के शाम पांच बजे की हो, स्वतः कहा कि घटना रात्रि के दस बजे की है।

69- गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रश्नः किया कि आपने अपने बयान में घटनास्थल पर करीब 12 घंटे बाद पहुंचकर नक्शामौका बनाने की बात लिखवाई है, क्या यह गलत बात है?

70- जिस पर गवाह ने उत्तर दिया कि उक्त कथन मैंने सहवन से बता दिया था, दिनांक 09.03.2022 को करीब चार बजे पी.एम. पर निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था।

71- मुझे मौका पर खून दो-तीन जगह मिला था। घटनास्थल से खून जहां पर खून ज्यादा था वहां से उठाया था। हालातमौका प्रदर्श पी 09 ए में दो तीन जगह खून पड़ा होने की बात अंकित नहीं की है। यह सही है कि जिस जगह से मैंने ब्लड उठाया वहां पर छांव नहीं थी। यह कहना गलत है कि मार्च के माह में बालू मिट्टी दो-तीन घंटे में गिली होने के बाद सूख जाती हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 09 के मौतबीरान ओमप्रकाश, नानूराम, व सोहनलाल मौका के चश्मदीद गवाह ना हो। यह कहना गलत है कि मेरी तफतीश में यह नहीं आया हो कि मौतबीरान ओमप्रकाश, नानूराम, व सोहनलाल मौका के चश्मदीद गवाह ना हो। नक्शामौका तस्दीक करते समय घटनास्थल के पड़ोसियान सीतादास, ओमप्रकाश नायक, दुर्गाराम मौका पर नहीं आये थे, स्वतः कहा कि गांव का ही मामला होने के कारण गवाह बनने से इन्कार कर दिया था।

72- घटनास्थल सीतादास के घर के आगे का नहीं है, पास का ही है। मुझे आज याद नहीं कि आरोपी व मृतक की कभी फोन पर आपस में बात हुई थी या नहीं। आज मुझे ध्यान नहीं है कि आरोपी के नाम से कोई मोबाईल सिम थी या नहीं, फिर कहा कि आरोपी के नाम से कोई सिम नहीं थी, स्वतः कहा कि सिम आरोपी के पिता के नाम से थी। यह सही है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी में परिवादी ओमप्रकाश द्वारा अपने मोबाईल नंबर 960241132742 से 8239334268 पर फोन से बात होना लिखा हुआ है, स्वतः कहा कि ओमप्रकाश ने अपने पुलिस बयान में मोबाईल नंबर 9664122667 बताये है। स्वतः कहा कि मेरी तफतीश में इन दोनों नंबरों से बातचीत होना आया है। यह कहना सही है कि भारत देश में किसी भी मोबाईल के कॉल नंबर 12 डिजीट में नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पर सी से डी हिस्सा गलत लिखाया गया है। प्रदर्श पी 02 मंे सी से डी मोबाईल नंबर की मैनें कोई कॉल डिटेल नहीं निकलवाई थी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में जी से एच हिस्से मोबाईल नंबरों की कॉल डिटेल मैंने निकलवाई थी, स्वतः कहा कि कॉल डिटेल निकलवाई या नहीं याद नहीं है। आज मुझे याद नहीं कि परिवादी के नंबर 9602411327 से 8239334268 से बात हुई थी या नहीं। सीतादास के घर का मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है। सीतादास के घर के मैंन गेट के आगे घटनास्थल नहीं है बल्कि आम रास्ता पर है। यह सही है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में आई से जे हिस्सा परिवादी ने गलत लिखा रखा है। मैं जब प्रथम बार घटनास्थल पर गया था उस समय मेरे साथ थाने के कौन-कौन मुलाजमान थे याद नही है। हम संख्या में कितने गये थे यह भी याद नहीं है। घटनास्थल से मृतक की बॉडी मेरे अधीनस्थ अस्पताल लेकर आये थे। हमारे पास सरकारी गाड़ी थी जो एक ही थी। मैं शव को रवाना करने के बाद मुलजिम की तलाश में रवाना हो गया था जो सरकारी जीप से रवाना हुआ था। शव को हमने प्राईवेट साधन से भेजी थी जो किसकी गाड़ी थी आज याद नहीं है। जब मैं रवाना हुआ उस समय सरकारी गाड़ी

का चालक नरेन्द्र था। मेरी गाड़ी में उस समय दो-तीन जने थे, आज मुझे याद नहीं कि उस समय कोई प्राईवेट व्यक्ति साथ में था या नहीं। मुझे मौका पर मुलजिम के पदचिन्ह् आदि नहीं मिले थे, स्वतः कहा कि वहां पर लोगों की भीड़ हो गई थी। घटना के समय आरोपी ने पैरों जूते, चप्पल क्या पहन रखा था, यह मेरी तफतीश में नहीं आया है। मुलजिम को जिस समय मेरे अधीनस्थ ने मेरे सामने पेश किया उस समय मुलजिम के पास लाठी नहीं थी बल्कि मोबाईल था। प्रदर्श पी 19 में चस्पा फोटो मुलजिम ने जब उसे मेरे समक्ष पेश किया था उस समय उसने फोटो में पहनी ड्रेस पहन रखी थी वह पहन रखी थी या नहीं आज याद नहीं है। मैंने आड़सर टोल नाका, और आगे इलाका में जाकर मुलजिम की तलाश की और अगले दिन सुबह डूंगरगढ थाने आ गया था। परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट में घटना रात्रि की बताई है। घटनास्थल पर थोड़ा बहुत प्रकाश आ रहा था और बाकि अंधेरा ही था। जिस समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई उस समय थाना इन्चार्ज मैं नहीं था बल्कि रतनलाल ए.एस.आई. था। मैंने रतनलाल ए.एस.आई. के बयान नहीं लिये थे। मैंने घटनास्थल पर मृतक की बॉडी का मुलायजा किया था। उस समय मैंने मृतक की बॉडी पर काफी जगह चोट देखी थी, जिनमें गरदन पर, मुंह पर, पीठ पर आदि व कई और जगह भी चोटें थी और मृतक का सिर लहुलुहान था। आज मुझे याद नहीं कि मृतक के सिर व छाती पर कोई चोट थी या नहीं। मृतक शराब पीता था या नहीं मुझे आज याद नहीं है। घटनास्थल से परिवादी का मकान 200-300 मीटर की दूरी पर था। परिवादी ने आरोपी द्वारा ही घटना की प्रथम सूचना देना बताया है। परिवादी ने यह बताया था कि आरोपी ने उसे घटना के बारे में फोन से सूचना दी थी। यह मुझे आज ध्यान में नहीं कि परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर बात हुई या नहीं। यह तफतीश मैंने ही की थी और चार्जशीट भी मैंने ही तैयार की थी। चार्टशीट का ए से बी हिस्सा मैंने ही लिखवाया है जिसमें आरोपी व परिवादी की कभी भी बातचीत होना नहीं लिखा है। प्रदर्श पी 13 में जार ए व जार बी विसरा मैंने अस्पताल से प्राप्त किये थे। मैंने प्रदर्श पी 13 विसरा को मालखाना में रखवाया था जिनको कांच के जार में रखा गया था। उस समय मालखाना इन्चार्ज कौन था याद नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 13 में जार ए व बी को मालखाना में रखने का अंकन नहीं है। प्रदर्श पी 13 में अंकित विसरा मैंने अस्पताल से किस दिनांक को कलेक्ट किया था याद नहीं है। जार ए व बी विसरा को अस्पताल में ही सील किया हुआ था। उक्त विसरों पर क्या सील थी जो किस नाम से थी, याद नहीं है और उक्त सील का वर्णन प्रदर्श पी 13 में नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 13 में किसी डॉक्टर या एम.ओ के हस्ताक्षर नहीं है। जार पारदर्शित थे। उन जारों पर ढक्कन प्लास्टिक के थे या लोहे के थे आज ध्यान नहीं है। यह सही है कि मैंने मृतक के घटनास्थल के फोटोस आदि नहीं लिये थे। प्रदर्श पी 16 में वर्णित वजह सबूत मेरे पजेशन में रहे जो मालखाना में जमा करवाये थे। यह सही

है कि मालखाना में वजहसबूत जमा होने के बाद मेरे पजेशन में नहीं रहते है। मालखाना इन्चार्ज राजेश नाई था। यह सही है कि प्रदर्श पी 16 में मालखाना इन्चार्ज राजेश नाई से वजहसबूत लिया हो इसका अंकन नहीं है। प्रदर्श पी 16 में वर्णित वजहसबूत एक ही दिन में कलेक्ट नहीं किये थे। आरोपी की गिरफतारी की सूचना उसके भाई को दी थी जिसका नाम आज याद नहीं है। प्रदर्श पी 19 में भाई को अलग से गिरफतारी की सूचना देने का अंकन नहीं है लेकिन पृथक से सूचना देने का अंकन है। आरोपी का भाई बालिग था जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, आज मुझे याद नहीं कि आरोपी के कितने भाई है। दौराने अनुसंधान मैंने मृतक राजूराम के पारचात कब्जा में लिये थे जिनमें एक टी-शर्ट व एक लोवर था। जिसकी अलग से फर्द बनाई थी। मृतक की प्रथम बार जब फोटो लिये थे उस समय मृतक की लोवर व टी-शर्ट ली हुई फोटोस ली थी, उक्त फोटो को चार्जशीट में शामिल किया था। पत्रावली देखकर गवाह ने बताया कि ऐसी फोटो संलग्न नहीं है। प्रदर्शपी 04 फोटोस साथी मुलाजमान के फोन से ली थी जिसका नाम आज याद नहीं है। प्रदर्श पी 04 फोटोज सरकारी अस्पताल की है। यह सही है कि प्रदर्श पी 04 फोटों में अस्पताल का नाम आदि आया हुआ नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 04 में टी-शर्ट व लोवर मुलजिम के पहनी हुई होती हो अवश्य आती, स्वतः कहा कि एम.ओ ने मृतक के पहने हुए पारचात उतारकर किये थे जिन्हे पृथक से जरिये फर्द जब्त किया गया था। पोस्टमार्टम से पूर्व मृतक के पहने हुए कपड़े उतारकर दिये थे, दूसरे कपड़े नहीं पहनाये थे। प्रदर्श पी 04 फोटोस को देखकर गवाह ने बताया कि इनमें एक्स व वाई स्थान पर कपडों पर खून लगा है या नहीं मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है इसलिए ज्यादा दिखाई नहीं देता है। मेरी उम्र 63 साल है। प्रदर्श पी 04 पर फोटो लेने वाले मुलाजमान के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी 07 में वर्णित मृतक के कानों में पहने हुए लूंग पर खून लगा हुआ था या नहीं आज याद नहीं है। यह सही है कि मृतक के पहने लूंग मैंने जब्त नहीं किये थे। यह सही है कि उक्त लूंग पर खून लगा हुआ होता तो अवश्य जब्त करता। मुझे दफा 27 की इतला थाने में दी थी जो थाना परिसर में दी थी। इतला हवालात में दी थी या खुले स्थान पर दी थी आज याद नहीं है। जिस समय इतला मिली उस समय अधीनस्थ साथ में थे या नहीं याद नहीं है। जिस समय इतला दी थी उस समय आरोपी गिरफतार था। यह कहना गलत है कि मैंने मुलजिम को डरा-धमकाकर उसके हस्ताक्षर करवाये हो। प्रदर्श पी 38 ए किसकी कलमी है मुझे आज याद नहीं है। यह सही है कि मालखाना इन्चार्ज के प्रदर्श पी 38 ए पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी 39, 40, 42, 43 पर समय अंकित नहीं है। प्रदर्श पी 40, 42, 43 मेरी कलमी नहीं है। प्रदर्श पी 44 ए लाठी का नाप अंकित नहीं है। प्रदर्श पी 45 व 46 मेरी कलमी नहीं है। यह सही है कि घटना का

कोई चश्मदीद नहीं था। यह कहना गलत है कि मृतक अत्यधिक शराब पीया हुआ हो और किसी वाहन से टकराने से चोटें लगने से उसकी मृत्यु हो गई हो।

73- इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी पी.ड.20 ने दिनांक 08.03.2022 को 10.48 पी.एम.पर दूरभाष के जरिए घटना की सूचना मिलनी बताई है। सूचना ये बताई है कि **नायक व जाट के झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।** जिस पर मौके पर जाना बताया है। मृत्यु का कारण फोन करने वाले ने झगड़ा बताया है। गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि सरपंच द्वारा फोन पर पुलिस को सूचना दी गई थी। गवाह पी.ड.1 ओमप्रकाश, पी.ड.2 श्रवणराम, पी.ड.8 भंवरलाल के कथनों की ताईद करते हुए गवाह पी.ड.20 अनुसंधान अधिकारी ने कहा है कि घटनास्थल पर उपस्थित लोगो ने राजूराम (मृतक) के साथ फर्द विश्लेषण कॉल डिटेल प्रदर्श पी33 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अभियुक्त श्रवणराम के मोबाईल नंबर 9587886269 की लोकेशन घटना दिनांक 08.03.2022 के सुबह 08.08 एएम से रात्रि 10.28 पीएम तक आरोपी के गांव बींझासर की होना पाई गई है। इसके पश्चात आरोपी का फोन बंद होना पाया गया है।

74- आरोपी श्रवण नायक के दूसरे मोबाईल नंबर 8239334268 की लोकेशन दिनांक 08.03.2022 को सुबह 08.51 एएम से दिनांक 08.03.2022 के 10.25 पीएम तक अपने गांव बींझासर होना पाई गई है।

75- तत्पश्चात 10.31 पीएम से 10.36 पीएम तक गुसांईसर, 11.10 पीएम पर उदासर, 11.26 पीएम पर आडसर व वक्त 11.36 पीएम पर आसासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू होना पाई गई है।

76- **मुताबिक प्रदर्श पी33 अभियुक्त श्रवणराम नायक द्वारा अपने मोबाईल नंबर 8239334268 से परिवादी ओमप्रकाश के दूसरे मोबाईल नंबर 9664122667 पर घटना की दिनांक 08.03.2022 के वक्त 10.02 पीएम पर 56 सैकेंड कॉल करना पाया गया है।**

77- गवाह राजेश त्रिपाठी पी.ड.17 ने उक्त मोबाईल नंबरो की कॉल डिटेल सहित धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए है। प्रदर्श पी33 के अनुसार प्रदर्श पी1 लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्य की रात्रि करीबन 10 बजे अभियुक्त श्रवणराम ने परिवादी ओमप्रकाश को मोबाईल से सूचना देना कि अभियुक्त ने राजूराम को लाठी से मारपीट कर जमीन पर गिरा देना व इससे पहले झगड़ा होना व इस संबंध में बतौर पी.ड.1 ओमप्रकाश परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि प्रदर्श पी33 से होती है तथा घटना 10 बजे की आसपास की होना साबित है। उसके पश्चात अभियुक्त श्रवणराम का घटनास्थल से गुसाईसर की ओर भागना साबित होता है, जैसा गवाहान ने अपनी ऊपरवर्णित साक्ष्य में बताया है तथा घटना के तुरंत बाद उसके मोबाईल नंबर की लोकेशन बींझासर से आसासर तक आना यह साबित करता है कि वह घटना कारित करते ही अपना गांव बींझासर

छोड़कर भाग रहा था। अपराध करने के तुरंत पश्चात हत्या जैसे गंभीर अपराध से बचने के लिए भागना अभियुक्त के पश्चातवर्ती आचरण को प्रकट करता है। अभियुक्त श्रवणराम पुत्र दुर्गाराम के द्वारा लाठी से मारपीट कर गुसाईसर की तरफ भागना बताया है। उक्त गवाहान तीनो ने घटनास्थल पर से अभियुक्त को लाठी लिये हुए भागते देखना बताया है। घटनास्थल को अनुसंधान अधिकारी द्वारा कांस्टेबल विनोद व रामनिवास को मौका पर छोड़कर सुरक्षित करना बताया गया है। जब्तशुदा आर्टिकल्स शील्ड अवस्था में मालखाना व एफएसएल में भिजवाना बताया है। आरोपी श्रवणरामके खून आलुदा पार्चेजात जरिए प्रदर्श पी20 जब्त कर एफएसएल हेतु भिजवाना बताये है। अभियुक्त की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला पर जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी21 एक लाठी उसके घर से बरामद की जाना बताई है। बरामदगी की ताईद प्रदर्श पी21 के गवाहान मुकेश पी.ड.14 व विक्रांत पी.ड.19 द्वारा की गई है।

78- जिरह में गवाह पी.ड.20 रामचंद्रसिंह ने अपने अनुसंधान में बरामदशुदा लाठी अभियुक्त श्रवण की होना अपनी जानकारी में आना बताई है। घटनास्थल सार्वजनिक रास्ता होना बताया है जो निर्विवाद है। घटनास्थल पर दो-तीन जगह खून होना व जहां ज्यादा खून था, वहां से खून उठाना बताया है। घटनास्थल सीतादास के घर के पास का ही होना बताया है, जिसकी पुष्टि गवाहान पी.ड.1 ओमप्रकाश, पी.ड.2 श्रवणराम, पी.ड.8 भंवरलाल ने की है। अपनी तफ्तीश में परिवादी ओमप्रकाश के मोबाईल नंबर से बातचीत होना पाया जाना बताई है जिससे परिवादी पी.ड.1 ओमप्रकाश के कथनों की पुष्टि होती है कि अभियुक्त ने इसे फोन करके बताया था कि उसने परिवादी के भाई राजुराम को मैंने लाठियों से पीटकर गली में डाल दिया है, उसे संभाल लो। पत्रावली पर विद्यमान प्रदर्श पी33 से अनुसंधान अधिकारी पी.ड.20 रामचंद्रसिंह के इन कथनों को बल मिलता है कि अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में घटना के तुरंत बाद अभियुक्त श्रवणराम की बातचीत परिवादी ओमप्रकाश से होना पाई थी। हालांकि अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह के अंत में अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को सही बताया है कि इस घटना का कोई चश्मदीद नहीं था। परंतु गवाह पी.ड.2 श्रवणराम ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कहा है कि उसने सीताराम स्वामी के घर के आगे गली में रोला सुनकर इसने उस तरफ देखा तो श्रवणराम नायक, राजुराम के साथ लाठी से मारपीट कर रहा था। यह भागकर वहां जाना बताता है और अभियुक्त दकालना बताता है परंतु जब इसके रोकने से अभियुक्त श्रवणराम, राजुराम को लाठी से मारते हुए नहीं रूकता है, तो वह राजूराम के बडेर के (परिवार के) घरों की तरफ शोर मचाता हुआ भागता है कि श्रवणराम नायक, राजूराम को लाठी से पीट रहा है। इसकी पुष्टि गवाहान पी.ड.1 ओमप्रकाश, पी.ड.8 भंवरलाल ने भी की है। गवाह पी.ड.2 श्रवणराम की संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि ये

नेचूरल गवाह है इसने जैसी देखी वैसी घटना अपने सशपथ साक्ष्य में बयान की है तथा यह घटना का चश्मदीद गवाह है और इसके कथन जिरह में अकाट्य रहे है।

79- प्रदर्श पी31 एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 के अवलोकन से प्रकट होता है कि एक्जीबिट 3 खून आलुदा मिट्टी, एक्जीबिट सी/1 कंट्रोल सॉईल (सादा मिट्टी) के सिमिलर होना पाई गई है। प्रदर्श पी35 एसएफएसएल रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि एफएसएल हेतु कुल छः पैकेट मार्कड् ए,बी,डी,ई,सी,सी प्रॉपरली सील्ड अवस्था में सील इंप्रेशन के साथ लेबोरेट्री में प्राप्त हुए थे। पैकेट ए में एक्जीबिट 1 मृतक की बनियान व एक्जीबिट 2 मृतक का लोवर, पैकेट बी में एक्जीबिट 3 घटनास्थल की खून आलुदा मिट्टी, पैकेट डी में एक्जीबिट 4 अभियुक्त की टी-शर्ट, पैकेट ई में एक्जीबिट 5 अभियुक्त से रिकवर की गई बंबू लाठी, पैकेट सी में एक्जीबिट 6 मृतक का गोज पर लिया गया ब्लड सैंपल तथा पैकेट सी में क्राईम सीन से ली गई कंट्रोल सोईल (सादा मिट्टी) एफएसएल जांच हेतु भेजी गई। प्रदर्श पी35 में अंकित है कि एक्जीबिट 1 से 5 का सिरोलोजिकल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी एक्जीबिट्स पर ब्लड डिटेक्ट हुआ।

परीक्षण का परिणाम निम्नलिखित पाया गयाः-

01. एक्जीबिट नंबर 5 (अभियुक्त की टी-शर्ट) पर लगे ब्लड स्टेन्स में **MALE DNA** प्रोफाईल पाया गया।

02. एक्जीबिट नंबर 3 (खून आलुदा मिट्टी) घटनास्थल से भी **MALE DNA** प्रोफाईल पाया गया।

03. एक्जीबिट नंबर 1 मृतक की बनियान व लोवर तका मृतक के ब्लड सैंपल के गोज में **SAME MALE DNA** प्रोफाईल प्राप्त हुआ।

04. एक्जीबिट नंबर 5 (बंबू लाठी जो अभियुक्त से जब्त की गई) **INCOMPLETE DNA** प्रोफाईल प्राप्त हुआ।

80- प्रदर्श पी 35 एफएसएल रिपोर्ट **CONCLUSION** निम्नलिखित प्रकार से अंकित हैः- **On the basis of DNA Examination performed on the exhibits provided, it is concluded that,**

1. The MALE DNA Profile obtained from exhibit No.6 (Blood Sample of deceased on gauze) IS MATCHING with the MALE DNA Profile obtained from the blood stains detected on exhibit No.4 (T-shirt of accused).

उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रकट होता है कि अभियुक्त श्रवणराम व मृतक राजुराम एक ही गांव व मौहल्ले के रहने वाले है। एक दूसरे को जानते है। घटना के दिन अभियुक्त गवाह पी.ड.12 सतपाल के घर पर मृतक के भाई लूणाराम का रात को 8-8.30 बजे लगभग इंतजार कर रहा था। फिर वह सतपाल के घर से लूणाराम के साथ में अपने घर से जाने से के लिए निकला था। लूणाराम पी.ड. 10 ने अपनी साक्ष्य में अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी1 के कथनों

मार्क ए से बी व सी से डी से इंकार किया है, जिसमें ये लिखा है कि वह सतपाल व अभियुक्त श्रवणराम के साथ शराब पीता हो और लूणाराम के घर वाले इस बात से नाराज हो। इसका अभिप्राय है कि मृतक के भाई लूणाराम के अभियुक्त श्रवणराम से मेलजोल से मृतक राजुराम आदि नाराज थे। प्रदर्श पी1 लिखित रिपोर्ट में परिवादी ने अभियुक्त द्वारा स्वयं को फोन करके अभियुक्त व मृतक का झगड़ा होना व अभियुक्त द्वारा यह कहना कि उसने राजुराम को लाठी से मारकर गली में गिरा दिया है। यह साबित करता है कि घटना से पूर्व किसी बात को लेकर मृतक राजुराम व अभियुक्त श्रवणराम के बीच में झगड़ा हुआ है और इस कारण से प्रेरित होकर अभियुक्त ने सआशय जानबूझकर यह जानते हुए कि बारंबार लाठी का प्रहार जमीन पर उल्टा पड़े व्यक्ति पर करने से आई गंभीर चोटो से उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, मृतक राजुराम की मृत्यु कारित की गई है।

81- घटना के चश्मदीद गवाह पी.ड.2 श्रवणराम ने अपने घर के चैक में बैठे हुए रोला सुनकर सीतादास स्वामी के घर की तरफ स्वयं द्वारा देखना बताया कि अभियुक्त श्रवणराम मृतक राजुराम के लाठी की चोट मार रहा था। इस गवाह ने प्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त श्रवणराम के द्वारा लाठी से राजुराम को पीटते देखा है। उस दकालने पर भी अभियुक्त नहीं माना है।

82- उसके बाद अभियुक्त श्रवणराम द्वारा मृतक के भाई पी.ड.1 परिवादी ओमाराम को अपने मोबाईल नंबर से परिवादी के मोबाईल नंबर पर फोन करके बताया गया है कि उसने राजूराम से झगड़ा किया है और अभियुक्त द्वारा लाठी से राजुराम के साथ मारपीट कर उसे गली में गिरा दिया है। उसे संभालने के लिए बोला गया है। प्रदर्श पी 33 कॉल विश्लेषण व अनुसंधान अधिकारी पी.ड.20 रामचंद्र के कथनानुसार घटना दिनांक 08.03.2022 को करीब 10 बजे रात्रि को अभियुक्त के मोबाईल नंबर से परिवादी ओमप्रकाश के मोबाईल नंबर पर 56 सैकेंड बात होने की पुष्टि पाई गई है। अभियुक्त से वह लाठी अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामद की गई है जिससे उसके द्वारा राजूराम के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की गई है। एफएसएल रिपोर्ट में अभियुक्त की टी-शर्ट पर ब्लड के छींटो से वही **MALE DNA** प्रोफाईल पाया गया है जो कि मृतक राजुराम के ब्लड में पाया गया है इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपराध के तत्काल पश्चात परिवादी ओमप्रकाश से की गई न्यायिक संस्वीकृति मौखिक व दस्तावेजी दोनो साक्ष्यों से समग्र रूप से साबित है।

83- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि घटना का कोई मोटिव नहीं है। अचानक झगड़ा होने के कारण घटना कारित करना बताई गई है। परंतु अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम में यह बचाव नहीं लिया गया है। अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता साबित नहीं है। मोटिव के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "**सुभाष अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ** NCT Of

देहली" दिनांक 17-4-2025 क्रिमिनल अपील नम्बर 1069/2025 में यह अभिनिर्धारित किया है कि (पैरा-24) " Motive remains hidden in the inner recesses of the mind of the perpetrator, which can not oftener than ever, be ferreted out by the investigation agency. though in a case of circumastantial evidence, the complete absence of motive would weigh in favour of accused, it can not be declared as a general proposition of universal application that in the absence of motive, the entire inculpatory circumstances should be ignored and the accused acquitted."

84- हस्तगत प्रकरण प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अभियोजन ने अभियुक्त द्वारा दी गई अतिरिक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को अपने मौखिक व दस्तावेजी दोनो साक्ष्य से साबित किया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया है।

85- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांतो का हस्तगत प्रकरण के संबंध में अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि **राजस्थान राज्य बनाम जसवंतसिंह** का मामला अंतिम बार देखे जाने व परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित है जो इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है। सेवाराम भाटिया बनाम राजस्थान राज्य का मामला मृतक की मृत्यु बीमारी से होने से संबंधित है।

86- **मोहम्मद अल्ताफ बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उचित प्रमाणीकरण के बिना व धारा 65 बी के प्रमाण-पत्र के बिना इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य साबित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत कॉल डिटेल का कॉल विश्लेषण, धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण-पत्र व गवाह राजेश त्रिपाठी की व अनुसंधान अधिकारी पी.ड.20 की मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया है।

87- **मोहम्मद अल्ताफ बना राजस्थान राज्य** के मामले में भी धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया गया था, परंतु हस्तगत प्रकरण में धारा 65 बी के प्रमाण-पत्र सहित कॉल डिटेल साबित की गई है।

88- **बाबुखान उर्फ अलिम खान बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में लाठी से क्षति कारित की गई थी। अभियुक्त किसी घातक हथियार का संवहन नहीं कर रहा था। यह साबित करने हेतू अभिलेख पर कुछ भी नहीं था कि वह मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय के साथ आया था। अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध धारा 304 खंड द्वितीय की परिधि में आता है। तदनुसार दंडादेश उपांतरित किया गया। हस्तगत प्रकरण में मृतक की पीठ पर प्रदर्श पी12 के अनुसार बहुसंख्य चोटे लाठी से कारित करना व उससे काफी संख्या में निलगू होना पाया गया है। अभियुक्त

को गवाह पी.ड.2 श्रवणराम द्वारा मारपीट करते रोकने पर भी वह नहीं रूका व मारपीट करते रहना पाया गया जो उसके आशय को इंगित करता है।

89- **रूपेश उर्फ पिन्टू व अन्य बनाम राजस्थान** राज्य के मामले में बरामदगी में विलंब का कारण नहीं स्पष्ट किया गया जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा प्रश्न विवादित नहीं है। **शेरसिंह बनाम राजस्थान राज्य** के मामले में बरामदशुदा कुल्हाड़ी से संबंधित एफएसएल रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया गया परंतु हस्तगत मामले में एफएसएल रिपोर्ट का परीक्षण रिपोर्ट मौखिक साक्ष्य व मेडिकल साक्ष्य से साबित है।

90- **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत नंदकिशोर उर्फ नंद बिहारी धाकड़ बनाम राजस्थान राज्य में जब्तशुदा का प्रयोग हथियार के रूप में किया जाना गवाहान के कथनों से साबित होना व मृतक का ब्लड ग्रुप हथियारों व कपड़ो पर होना पाया गया। हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्त के कपड़ो पर विद्यमान रक्त में वहीं MALE DNA प्रोफाईल पाया गया है जो कि मृतक के ब्लड में विद्यमान था।**

91- अतः उपरोक्त समस्त विवेचन-विश्लेषण के फलस्वरूप अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध संदेह से परे साबित है। जहां तक अभियुक्त पर अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता का आरोप है, अभियुक्त द्वारा मृतक की मृत्यु जिस लाठी से चोट मारकर कारित की गई वह लाठी अभियुक्त द्वारा हत्या के अपराध के वैध दंड से बचने के लिए सआशय अपने घर में छुपाई गई थी तथा उक्त लाठी अनुसंधान अधिकारी पी.ड.20 रामचंद्र द्वारा अभियुक्त की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला बरामद की गई है। अतः अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित करने योग्य है।

आदेश

92- अतः अभियुक्त श्रवणराम पुत्र सांवतराम निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को भा.द.सं. की धारा 302 व 201 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

:o: सजा के बिन्दु पर:o:

93- सजा के बिन्दु पर उभय पक्षकारान को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन कि अभियुक्त श्रवणराम ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिस पर सामाजिक व पारिवारिक दायित्व है तथा वह इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लगातार रूप से निरूद्ध चल रहा हैं। अतः उसके विरूद्ध नरमी का रूख अपनाते हुए उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाए ।

94- विद्वान अपर लोक अभियोजक ने व परिवादी अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने मृतक की लाठी से पीटकर सआशय हत्या कर लाठी को छीपा कर साक्ष्य को विलोपित किया है। अतः उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए ।

95- उभय पक्ष को सुना गया, सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया एवं दण्डादेश के कारकों पर विचार किया गया ।

96- हत्या का अपराध एक जघन्य अपराध है तथा इससे समाज की अन्तःचेतना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मानवीय संवेदनशीलना व सामाजिक दृष्टि से भी निम्न स्तर का है। समुचित सजा का अभाव अन्याय एवं अपराधियों को प्रोत्साहित करेगा और न्याय का हनन करेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है-

-o:: दण्डादेश::o:-

97- परिणामतः अभियुक्त श्रवणराम पुत्र सांवतराम निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को धारा 302 भा0द0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास से एवं 40,000/- रूपये (अखरे चालीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा ।

98- अभियुक्त श्रवणराम पुत्र सांवतराम निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को धारा 201भा0द0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध पाए जाने के फलस्वरूप अभियुक्त को तीन वर्ष के साधारण कारावास से एवं 5,000/- रूपये (अखरे पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

99- उक्त सभी सजायें साथ साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को उनकी मूल सजा में नियमानुसार समायोजित

किया जाए। उपरोक्तानुसार अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार किया जाए। इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जाए।

100- प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूतों व आर्टिकलों को बाद व्यतीत होने मियाद अपील या अपील नहीं होने की दशा में नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

101- निर्णय आज दिनांक 20-05-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर